हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 दिसम्बर 1986

खण्ड 3, अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मगंलवार, 2 दिसम्बर, 1986

पृष्ठ संख्या

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 3
तारांकित प्रश्न संख्या 1185 पर आधे घटें की चर्चा की अनुमति देना	(6) 20
तारांकिन प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(6) 20
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6) 25
ध्यानाकर्षण सूचना–	
राज्य में मलेरिया के फैलाव संबंधी	(6) 26
दि इंडियन इलैक्ट्रसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986 (पुनरारम्भ)	(6) 26
बिल्ज	
(1) दि हरियाणा सीलिग आन लैड होल्डिंग्ज (अमैंडमैंट) बिल्ज, 1986	(6) 28

(2) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1986	(6) 36
(3) दि हरियाणा फारैस्ट डिवैल्पमैंट (रिपील) किन, 1986	(6) 37
(4) दि इण्डियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986	(6) 40
(5) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (मैडिकल. फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) बिल, 1986	(6) 41
(6) दि हरियाणा लैजिम्लेटिव अमैम्बली स्पीकर्ज पैशन एंड मैडिकल फैसिलिटीज (रिपील) बिल, 1986	(6) 44
(7) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1986	(6) 45
(8) दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986 (पुनरारम्भ)	(6) 47

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 2 दिसम्बर, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब क्वैश्चंज होगे । We will first take up the list of postponed starred question.

Issue of Gun or Revolver Licences

***1171. Chaudhri Azmat Khan :** Will the Chief Minister be pleased to state the sub-division-wise number of persons to whom gun or revolver licences have been issued during the years 1984-85 and 1985-86 in the State togetherwith the names and addresses of the persons belonging to Nub, Ferozepur Zhirka and Palwal sub-divisions to whom the said licences have been issued ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : The requisite information in respect of sub-division-wise number of persons to whom gun or revolver licences have been issued during Ihe years 1984-85 and 1985-86 in the State is placed on the Table of the House. As regards information about the names and addresses of the persons belonging to Nuh, Ferozepur Jhirka and Palwal sub-divisions to whom the said licences have becn

issued, the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the possible benefits to be accrued.

STATEMENT

Number of licences issued for Guns/Revolvers in the State during the years 1984-85 and .1985786

S. N .	District	Sub-Division	Number of Guns/ Revolvers LLences 1984-85	Number of Guns/ Revolvers licences 1985.86
1	2	.3	4	5
1.	Jind	Jind	155	192
		Safidon	18	30
		Narwana	66	85
2.		Narnaul Rewari	13	43
		Mohindergarh	4	12
		Namaul	9	33
3.	Rohtak	Rohtak	73	161
		Jhajjar	10	120
		Bahadurgarh	60	102

4.	Sonepat	Sonepat	116	117
		Gohana	44	64
5.	Sirsa	Sirsa	1614	3%
		Dabwali	322	100
6.	Bhiwani	Bhiwani	23	47
		Dadri	8	13
		Loharu	2	5
		Siwani	27	10
7.	Hissar	Fatehabad	1203	387
		Hissar	899	920
		Hansi	83	75
		Tohana	135	260
8.	Faridabad	Palwal	129	109
		Ballabgarh	195	235
9.	Ambala	Ambala	195	133
		Jagadhari	98	75
		Naraingarh	15	28
		Kalka	94	91
10.	Gurgaon	Gurgaon	210	125

		Nuh	66	56
		Firozepur Zhirka	52	28
11	Karnal	Karnal	595	1179
		Panipat	191	784
12	Kurukshetra	Thanesar	592	700
		Kaithal	363	172
		Gulha	219	164
14	Issued at the Govt. level		130	20

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुत से सब–डिवीजनों में तो वहुत ज्यादा लाइसैंस दिए गए हैं और कईयों में बहुत कम दिए गए हैं । जब हम लाइसैंस की बात करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि हमारे पास कोटा फिक्स होता है । क्या सरकार ने हर सब–डिवीजन का कोटा फिक्स कर रखा है अगर कर रखा है तो किसी सब–डिवीजन में ज्यादा और किसी में कम क्यों दिया गया है?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, जैसे–जैसे जिस जगह पर लोगों की जरूरत होती है. उसको देखते हुए लौकल अथारिटीज लाइसैसै देती हैं ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Now we will take up the regular list of questions for today.

Bus accidents during 1985-86

"**1184. Shri Jagdish Nehra :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether any of the buses of the Haryana Roadways were involved in any accidents during the year 1985-86;

(b) if so, the total loss suffered by the Haryana Roadways on account of payment of comp ensation and other factors during the said year ; and

(c) the steps, if any, taken or proposed to be taken to minimise the incidence of accidents in future ?

Transport Miniser (Col. Rao Ram Singh) :

(a) Yes, 583 buses were involved in accidents during the year 1985-86.

(b) Claims lodged in 1985-86 and settled in the same year by Motor Accidents Claim Tribunals amounted to Rs. 21.64 lacs. Besides, the Roadways incurred an expenditure of Rs. 53.25 lacs on the repair of buses during this year.

(c) The Government views the increasing trend in road aecidents with serious concern. It is not a problem

confined to Haryana alone but it is faced by all other States in the country. Progressive measures are being taken by the Government through a comprehensive strategy based on the following:—

(i) Developing traffic sense through publicity propaganda and Education:

(ii) Improvement of roads:

(iii) Strict rules in issuing Driving Licences:

(iv) Deterrent punishment to the violators of traffic rules: and

(v) Adequate facilities for parking and rest/refreshment of drivers,

Specifically the steps which the State government has under taken and proposes to undertake are as under :—

(i) Speed limits of both light and heavy motor vehicles have been fixed under the Motor Vehicles Act, 1939 keeping in view the intensity of traffic and location and nature of roads etc. Various officers of the Transport and Police Departments have been authorised to challan the vehicles violating the provisions of the Motor Vehicles Act.

(ii) Speed breakers have been constructed at critical points to slow down the speed to reduce accidents. Traffic enforcement staff has been provided with Doppler Radars to check over speeding and Breach Analysers to detect drivers under influence of liquor .

(iii) Periodic Safety Campaigns are launched to educate the public. Sign boards with traffic symbols/instructions have been fixed on the. National High-ways and other important State roads for the benefit of the public. Publicity is also carried through films, posters and Pamphlets.

(iv) Four Traffic Aid Posts on the Sher Shah Suri Marg and one on the Delhi-Jaipur National Highway have been set up to remove broken down and accidented vehicles to ensure uninterrupted traffic flow and to minimise the. possibility of further accidents.

(v) Work is under progress on the Sher Shah Suri Marg to convert it into a four lane to reduce congestion and consequent road accidents.

(vi) Unauthorised encroachments on either sides of. the National Highways have been and are being removed for smooth regulation of traffic.

(vii) The Drivers' Training School, Gurgaon imparts the in-service intensive training to the drivers of Haryana Roadways. Land has been acquired and suitable financial provisions made to strengthen and enlarge the activities of the school, keeping in view the growing requirements in the coming years.

(viii) A Truck Parking Complex at Murthal has been constructed so that drivers do not park on the berms of the Highways and at the same time are able to avail of rest and food facilities.

(ix) For proper and timely repair and maintenance of Haryana Roadways buses, a provision of Rs. 300 lacs has been made in the 7th Plan for the modernisation of workshops.

(x) A scheme for the unification of barriers of various departments on the National and State Highways under one roofs is under the consideration of the Goverment. The scheme, when implemented would remove bottlenecks and help' to reduce the accidents.

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, कर्नल साहब ने मेरे सवाल के बारे में काफी जानकारी देने की कोशिश की है । है उनसे जानना चाहता हूं कि 1986– 87 में जो उन्होंने मैयर्ज लिए हैं, क्या उनकी वजह से कुछ इम्प्रूमैंट हुई है, यदि हुई है तो 1985–86 के 6 महीने और 1986–87 के 6 महीनों का कम्पैरिजन देकर अपनी बात साबित करेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, हमारी रोडवेज का फ्लीट लगातार बढ़ रहा है । रोडवेज के फ्लीट के अलावा हरियाणा में और भी ट्रैफिक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है । हमने जो मैयर्ज लिए हैं उनसे काफी फर्क पड़ा है लेकिन ब कि व्हीकल्ज की तादाद मइको पर बड रही है इस लिए यह नहीं कह सकता कि इस साल 1985–86 से नम्बर्ज में एक्सीडैंट्स कम हुए हैं । परसैटवाईज जरुर कम हुए हैं परसैटवाईज ऐसा है कि हरियाणा में पूरे देश के मुकाबले में सब से कम एक्सीडैट्स होते हैं । हरियाणा के अन्दर 1984–85 में हर एक लाख किलोमीटर के पीछे

प्वायट 18 एक्साडैटस हुए हैं, पंजाब में प्यांयट 19, केरल में 2–41 हुए हैं । 1985– 86 में हरियाणा में हालांकि फ्लीट बढ़ा लेकिन फिर भी हमने प्वांयट 18 को ही मेनटेन किया, पंजाव में भी प्वांयट 18 रहा और केरल में 1.99 रहा । 1986–87 की फर्म फिगर्ज अभी तक मेरे पास नही आई हैं । हम उनको कम्पेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, ऐसा देखने में आया हे कि जो स्कूलों के खुलने का तथा छुट्टी का टाईम होता है उस वक्त बच्चे सड्कों पर चलते हैं, उनको रोड सैस नही होती । क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट एजुकेशन डिपार्टमैंट के साथ मिल कर स्कूलों में कोई ऐसा कोर्स जारी करेगा जिससे बच्चों को ट्रैफिक की सैंस के बारे में बताया जा सके? छुट्टी के समय भाग कर बच्चे सड़क पर एकदम आ जाते हैं और उधर से ट्रैफिक चल रहा होता है । इस वजह से एक्सीडैंट्स हो जाते हैं । मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों डिपार्टमैंटस की कोई स्कीम है जिससे बच्चों को ट्रैफिक सैस के बारे में बताया जाए?

कर्नल राव राम सिंह : जो मैयर्ज मैंने बताए हैं उसमें पब्लिसिटी और प्रोपेगन्डा से ऐसी एजुकेशन दी जाती है । यह भ्रू फिल्म्ज एंड वेरियस शोज से देते है । आपने दिल्ली में देखा होगा, वहां पर एक ट्रैफिक पार्क है । हमारा विचार था कि वैसे ही पार्क हम भी बनाएं लेकिन हर जगह नहीं बना सकते । इसलिए हम कहीं सैंट्रल जगह पर बच्चों के लिए ट्रैफिक पार्क बनाने की

कोशिश करेंगे । As an educational measure, children can go there and see for themselves how the system of traffic should be followed .

श्री भले राम : स्पीकर साहब, लिंक रोड्ज पर स्पीड बेकर बनाए हुए पैं ताकि व्हीकल्ज की स्पीड कम हो जाए और एक्सीडैंट न हो । चौधरी भजन लाल जो जब मुख्य मंत्री 'थे तो वे पब्लिक मीटिग अटैंड करने के लिए गोहाना जा रहे थे । रास्ते में मुडलाना गांव में सड़क पर जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, उनके ऊपर से जब उनकी गाड़ी गुजरने लगी तो उनका सिर गाड़ी की छत से जाकर टकराया क्योंकि वे बहुत ही ऊंचे स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं । उन स्पीड ब्रेकर्ज पर कोई सफेदी बगैरह का निशान नहीं लगाया हुआ है । मैं आपके द्वारा मंत्री जो से जानना चाहूंगा कि रोड्ज पर जो स्पीड ब्रेकर्ज बनाए हुए हैं, उन पर सफेदी वगैरह के निशान लगाए जाएंगे ताकि वे ड्राईवर्ज को दूर से ही नजर आ जाएं?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, इस बारे में मैं यह सजैस्ट करूंगा कि उस ड्राईवर की आई साइट टैस्ट करवानी चाहिए जिसको वह स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आया । स्पीड ब्रेकर तो दूर से नजर आते है लेकिन अगर कहीं पर स्पीड ब्रेकर पर सफेदी की लाईन नहीं लगाई हुई है तो उसके लिए मैं पी ० डबल्यू ० डी ० मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके हिदायते जारी कराऊंगा कि स्पीड ब्रेकर्ज पर सफेदी की लाइनें जरूर लगाई जाए ।

लोक निर्माण मंत्री (श्री फूल चन्द) : स्पीकर साहब. इस बारे में पहले से ही विभाग को हिदायतें जारी की हुई हैं कि स्पीड ब्रेकर्ज मोडरेट टाईप के कर दिए जाएं और जिन पर सफेद लाइनें नहीं हैं, उन पर सफेद लाइनें लगा दी जाएं ।

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे स्टेट हाई–वे पर स्पीड ब्रैकर्ज बनाए हुए हैं, क्या उसी तरह से रोड रिसर्च इंस्टीच्यूट से कंसल्ट करके नैशनल हाई–वे पर भी स्पीड ब्रेकर्ज बनाए जा सकते है?

श्री फूल चन्द : स्पीकर साहब, नैशनल हाई–वे पर स्पीड ब्रेकर्ज नही बनाए जा सकते ।

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, नैशनल हाई–वे पर जो ट्रैफिक एड पोस्ट मुकरर्र की है, क्या उन पोस्टों पर करेन्ज पूरी हैं ताकि ब्रैक डाउन हुए व्हीकल्ज को वहां से जल्दी हटाया जा सके?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, नैशनल हाई–वे पर पांच ट्रैफिक एंड पोस्टस बनाई हुई हैं । उनके पास एक–एक करेन, एक–एक एम्बुलैंस, एक–एक जीप और एक–एक मोटर साईकल होनी चाहिए । इन व्हीकल्ज को खरीदने के लिए सैट्रल गवर्नमैंट ने हमें पैसा दिया था लेकिन हम पांच में से केवल दो पोस्टों के लिए ये व्हीकल्ज खरीद सके हैं, बाकी तीन के लिए खरीदने के बारे में योजना बना रहे हैं ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, 1985– 86 में 583 बसिज के एक्सीडैंट्म हुए हैं । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 198 5– 86 में नैशनल हाई–वे पर कितने एक्सीडैंट हुए और स्टेट हाई–वें पर कितने एक्सीडैंट हुए?

Col. Rao Ram Singh : I require a separate notice for answering this question.

चौधरी रोशन लाल : आर्य स्पीकर साहब, मंत्री जी ने एक्सीडैंटस रोकने के बारे में 10 प्वायंटस बताए हैं । उनमें से मैं मंत्री जी का ध्यान 8वें प्वायंट पर आकर्षित करना चाहूंगा । मूरथल में जो ट्रक पार्किग कम्पलैक्स बनाया हुआ है, क्या वह ठीक तरीके से काम कर रहा है और क्या उस कम्पलैक्स के बनने के बाद भी ट्रक जी० टी० रोड पर खड़े नहीं होते हैं? देखने में आया है कि उस कम्पलैक्स में कोई भी ट्रक खड़ा नहीं होता, बाहर जी ० टी० रोड पर ही खडे होते हैं । क्या मंत्री जी इस तरफ ध्यान देगे कि जो इतने पैसे खर्च करके कम्पलैक्स बनाया गया है, उसका इस्तेमाल हो । इसके अलावा मैं एक सुझाव देना चाहुंगा कि जिस तरह से चण्डीगढ और दिल्ली में टू व्हीलर्ज ड्राइवर्ज के लिए हैलमैट पहननना लाज्मी हैं उसी तरह से हरियाणा में भी लाजमी करेंगे क्योंकि कालेज के स्ट्डैंटस मोटर साइकिल बहुत तेज चलाते हैं और जब वे किसी चीज से टकराते हैं तो उसी समय मर जाते हैं । जितने भी मरते हैं, वे सिर की चोट की वजह से मरते हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि

क्या वे हरियाणा के अन्दर भी टू व्हीलर्ज चलाने वालों के लिए हैलमैट पहनना लाज्मी करेंगे? कर्नल राव राम सिंह स्पीकर साहब, जहां तक मूरथल के ट्रक पार्किंग कम्पलैक्स का सवाल है, उस बारे में माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल दुरूस्त है कि वह ट्रक पार्किंग कम्पलैक्स सैटिसफैक्टरिली नही चल रहा है । उसका मुख्य कारण यह है कि जो उसके बाहर जी० टी ० रोड पर ढाबे बने हुए हैं, ट्रक ड्राइवर्ज उन ढाबों के पास अपने ट्रक खड़े करके खाना खा करके वहीं चारपाई पर आराम करते हैं । हम यह कोशिश कर रहे हैं कि उस कम्पलैक्स के साथ ही थोड़ी सी जमीन और एक्वायर करके उस कम्पलैक्स के अन्दर ही 10– 12 ढाबे कंस्ट्रक्ट कर दें । और इस समय वहां पर जो ढाबे वाले हैं, उन्हीं को वे ढाबे लीज पर दे दें । इस समय उनको वहां से एविक्ट करना बहुत मुश्किल है और यह ठीक भी नहीं होगा । जब कम्पलैक्म के अन्दर ही 10– 12 ढाबे कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो ट्रक कम्पलैक्स के अन्दर ही खडा हुआ करेंगे, बाहर जी० टी० रोड पर खड़े नहीं होंगे । इन्होंने हैलमैट के बारे में जो सुझाव दिया है, वह बहुत अच्छा सुझाव है कि व्हीलर्ज चलाने वालों के लिए हैलमैट का होना बहुत हो जरुरी है । हम इस बात को एग्जामिन करेंगे । इस बारे में पुलिस डिपार्टमैंट के साथ ट्राई करके इस आर्डर को जारी करने की पूरी कोशिश करेंगे ।

बहिन शांति देवी : स्पीकर साहब, करनाल के पास से जी० टी० रोड गुजरती है । जी० टी० रोड पर तो स्पीड ब्रेकर्ज

बनाए नही जा सकते । वहां से जी० टी० रोड माडल टाउन से हो कर गुजरती है और उसके दूसरी तरफ आई० टी० आई० और कान्वेंट स्कूल है । उनमें आते जाते बच्चों का बहुत बार एक्सीडैंट हो चुका है, बहुत से बच्चे मर चुके हैं और काफी बच्चे घायल भी होते रहते हैं । अगर वहां जी० टी० रोड पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जा सकते तो कम से कम यह बोर्ड लगा दिया जाए कि 'स्टोप, लुक एंड गो' या ट्रैफिक सिगनल और लाइट वगैरह का कोई प्रबंध करवा दिया जाए जिससे बच्चों का एक्सीडैंट नही होगा । क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी क्योंकि करनाल के लोगों को बहुत परेशानी है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, अभी पी० डब्ल्यू ० डी ० मिनिस्टर ने बताया है कि नैशनल हाई वे पर स्पीड बेकर नहीं बनाए जा सकते । जहां पर बहिन जी ने बताया है, वहां पर हम जैबरा क्रासिग स्ट्रीप्स टाइप बनाने की कोशिश करेंगे ।

Opening of 10+ 2 classes in Ambala Cantt.

***1201. Seth Ram Pass Dhamija :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open 10+2 classes in any of the Government Schools in Ambala Cantt.; if so, the time by which the said classes are likely to be started ?

Education Minister (Shrimati Sharda Rani) : No, at present there is no such proposal under consideration of the Government. Hence the question of time dos not arise.

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है वह तसल्लीबख्श नहीं है । अम्बाला कैंट की 1 35 लाख की आबादी है और वहां पर एक भी दस जमा दो प्रणाली स्कूल नहीं हैं । वहां पर तीन हाई स्कूल हैं और एक हाई स्कूल का एरिया तो 7 एकड़ का है । हमारा हक बनता है कि एक–आध स्कूल में तो दस जमा दो प्रणाली होनी चाहिए. । इतना बड़ा शहर होने के बावज्द भी वहां पर तुक भी दस जमा दो प्रणाली का स्कूल नहीं है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हू कि अम्बाला कैंट में यह प्रणाली क्यों नहीं है?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, अम्बाला कैंट में तीन कालेज है और उनमें दस जमा दो प्रणाली है ।

Water and Sewerage Connections

***1209. Chaudhri Dharam Bir Gauba :** Will the Minister of State for Local Governme nt be pleased to state whether it is a fact that the residents of Shiv Puri, Subhash Nagar and Shivaji Nagar of Gurgaon city are not being given water and sewerage connections ; if so, the reasons therefor to gether with the steps, if any, taken or proposed to be taken to provide these facilities ?

Minister of State for Local Government (Shri A. C. Chaudhry) : No. These civic amenities are available to the residents. of these localities who get their building plans sanctioned by the local authority and make payment of development charges.

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने 'नो' कहने की कस्म उठा रखी है इसलिए हर सवाल के जवाब में 'नो' कह देते है । ये तीनों कालोनीज अथोराडज्ड कालोनीज हैं उनका नक्शा पास क्यों नहीं होता? यदि उनका नक्शा पास नही होगा तो उनको वाटर कनैक्शन और सिवरेज का कनैक्शन नही मिलेगा । मैं मन्डी जी से जानना चाहता हूं कि उन कालोनीज का नक्शा पास क्यों नहीं होता है?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मैने 'नो' कहने की कोई कस्म नहीं उठा रखी है । जो 'नो' कहा गया है यह तो पोजीटिव में 'नो' कहा है । माननीय सदस्य ने मेन सवाल में पूछा था कि उन कालोनीज को वाटर कनैक्शन और सीवरेज कनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, मैंने यह जवाब दिया है कि नहीं । स्पीकर साहब, शिवपुरी कालोनी में टोटल मकान 500 है, जिनमें मे 386 को वाटर कनैक्शन मिला हुआ है और 138 को सिवरेज कनैक्शन मिला हुआ शै । इसी प्रकार से सुभाष नगर में 498 मकान हैं, उनमें से 318 को वाटर कनैक्शन मिला हुआ है और 183 को सिवरेज कनैक्शन मिला हुआ है । इसी प्रकार से शिवाजी नगर में 65० मकान हैं जिनमें से 520 को पानी का कनैक्शन मिला हुआ है और 265 को सिवरेज कनैक्शन मिला हुआ है । स्पीकर साहब, 1978 से आज तक 640 लोगों के मकानों के नक्शे पास हुए हैं । कुल मिला कर 807 नक्शे पास हुए हैं और 167 रिजैक्ट कितु गत् हैं । किसी भी कालोनी के लिए मेन सुविधा पार्क, प्ले ग्राऊंड या

सड़क की होती है डन के लिए जितनी जगह छोड़ी जानी चाहिए, वह है । आप इस बात से सहमत होंगे, कि जो कालोनीज बनाई जाएं, उनमें जितनी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए वह हों । सड़क के लिए 20 फुट चौड़ी जगह, छोटी जानी होती है । जिस कालोनी में ऐसा नहीं किया गया केवल उसी को छोडा गया है ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अभी मंत्री जी ने बताया है कि ऐसी कालोनीज में सभी सुविधाएं नक्शे वगैरा पास होने के बाद दी जाती हैं । स्पीकर साहब, हरियाणा में ही नही बल्कि पूरे देश में आज अन–अथोराडज्ड कालोनीज बढ़ती जा रही हैं । पीछे सरकार की तरफ से घोषणा हुई थी जिसका हाउस में भी जिक्र आया था कि जो इस तरह की अन–अथोराइज्ड कालोनीज बन चुकी हैं, उनकी डिवैल्पमेंट के लिए उनसे कुछ पैसे लेकर वहां के लोगों को सीवरेज, पानी और दूसरी सुविधाएं देगी । सरकार ने ऐसी कालोनीज में नाममात्र को सुविधाएं देने की कोशिश की भी है । इस बारे में मेरा सुझाव है कि जो कालोनीज बन चुकी हैं, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की सरकार पूरी पूरी कोशिश करे । दूसरा मेरा सवाल यह है कि ऐसी अन–अथोराइज्ड कालोनीज की कंस्ट्रक्शन्ज आगे से रोकने के लिए क्या सरकार रजिस्टरी द्वारा जमीन की सेल पर पाबंदी लगायेगी? ऐसा होने से लोग जमीन खरीद नहीं सकेगें और ये कालोनीज आगे नही बढेगी । इसके साथ साथ क्या सरकार दफा 4 और 6 के नोटिसिज साथ–साथ जारी करने पर भी विचार करेगी । यह एक

कानूनी लकूना है जिसकी वजह से ये कालोनीज बढती जा रही है । जब जमीन की रजिस्टरी बन्द हो जायेगी और दफा 4 और 6 के नोटिस साथ साथ जारी हो जाएंगे तो 'मेरे ख्याल से इनको रोका जा सकेगा क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होगा कि वे प्लाट्स वगैरा वहां पर खरीद सकें । जब ऐसी कालोनजि बन जाती है तो हम राजनैतिक लोग ही उनको वहां से न उठाने के लिए कोशिश करते हैं । क्या मंत्री जी इस कानूनी लकूने को दूर करने की कोशिश करेंगे' ?

श्री ए ० सी ० चौधरी : भाई महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने बताया है कि कई कालोनीज में सीवरेज, पानी और दूसरी चीजों की आवश्यकता है लेकिन ये सुविधाएं वहां के लोगों को उपलब्ध नहीं हैं । हाउस भी इस बात से सहमत होगा कि ऐसी अन–अथोराइज्ड कालोनीज में एकदम सारी सुविधाएं किसी भी हालत में उपलब्ध नहीं करवाई जा सकतीं । सरकार ने यह फैसला किया हुआ है कि जिस कालोनी की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है, वहां पर ये सारी सुविधाए लोगों को उपलब्ध करवाई जाएं । सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर्ज को हिदायत दी हुई हैं कि ऐसी कालोनीज के लोगों से डिवैल्पमैट चार्जिज के पैसे लेकर ये सुविधाएं दे दी जाएं । यदि किसी कालोनी में 500 आदमियों ने मकान बना रखे हैं और इन 500 में से सिर्फ 5– 10 आदमी ही अपने हिस्से के डिवैल्पमैंट चार्जिज दे पायें तो उससे कालोनी को पीने के पानी की, सीवरेज की, खेल के मैदान की या और दूसरी

सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकतीं । दूसरा सवाल इन्होंने यह किया है कि दफा 4 और 6 के नोटिसिज साथ साथ जारी कर दिए जाए । मैं इनकी इस परपोजल से सहमत नही हूं । क्योंकि एक्ट के मुताबिक दफा 4 के नोटिस इशू होने के बाद लोगों से औब्जैक्शन आते हैं जिसके लिए कुछ समय फिक्स किया हुआ होता है इसलिए दफा 4 के साथ दफा 6 के नोटिसिज साथ साथ नहीं हो सकते ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर साहब, मेरा तो सीधा सा सवाल है कि जो कानूनी लकूना है उसका किसी तरह से दूर कर दें ताकि गरीब लोग ऐसी जगहों पर प्लाट न खरीद सकें और जो अन–अथोराइज्ड कालोनीज बढ़ती जा रही हैं उनको रोका जा सके. । मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस कमी को किसी भी प्रकार से दूर कर दे ।

श्री ए० सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कानूनी प्रोवीजन के मुताबिक सैक्शन 4 का नोटिस इशु होता है और उसके बाद औब्जैक्शन आने होते हैं इसलिए दफा 4 और 6 में जो गैप है उसको कम नही किया जा सकता । इनका सवाल यह है कि जो ऐसो अन–अथोराइज्ड कालोनीज बढ रही हैं उनको कैसे रोका जाये । इस बारे मे मैं अपने दोस्त कौ बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो कदम इस बारे में उठाये जा रहे हैं उनका रिजल्ट जल्दी ही सामने आ जायेगा ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर साहब, मेरा सवाल तो 28 कोलोनीज के बारे मे था लेकिन ये अन–अथोराइज्ड कोलोनीज की तरफ चले गए । अर्बन एक्ट 1975 के तहत एक टी ० पी० स्कीम बनीं थी जो अब बहुत पुरानी ही चुकी हैं । इस स्कीम के तहत लोगों को सीवरेज पानी, खेल के मैदान और स्कूल आदि की सुविधाएं देनी जरुरी थी । क्या मंत्री जी इस स्कीम को रिव्यू करने पर विचार करेगें ताकि लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके?

श्री ए० सी ० चौधरी : मैंने इनके सवाल का जवाब यह नहीं दिया कि जो कालोनीज इन्होंने बताई हें वे अन–अथोराइज्ड हैं । मैंने तो यह बताया था कि कितनी कालोनीज के नक्शे पास किए गए, कितनी को पानी और सीवरेज आदि के कनैक्शन्ज दिए गए है । जिन कालोनीज के नक्शे पास हुए हैं वे इस बात का सबूत है कि वे कालोनीज एप्रूवड हैं । जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नही कराई गई हैं उसका कारण यह है कि वहां पर जितनी जगह पोस्ट आफिस के लिए, स्कूल के लिए, और पार्क आदि के लित छोड़ी जानी चाहिए थी, वह नहीं छोड़ी गई । यदि हम इस कमी के रहते हुए उन कालोनीज को पास कर देते हैं तो आगे आने वाली नस्ल के लिए यह ठीक नहीं होगा उनको न तो सड्कों की सुविधा मिलेगी, न पार्क के लिए, न स्कूल और पोस्ट आफिस के लिए जगह मिलेगी । जहां तक इन्होंने टी ० पी० स्कीम को रिव्यू करने की बात कही है, उस बारे में मैं हाउस को

एश्योर करता हूं कि अगर उस स्कीम के अन्दर कोई डिस्पैरिटी होगी तो उसको रिव्यू करेगे ।

Plying of Buses in Fatehabad Constituency

***1217. Chaudhri Lila Krishan :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the plying of certain buses on the following routes in Fatehabad constituency has been suspended/ cancelled :—

(i) Bhuna-Rattia via Mohammadpur Sottar ;

(ii) Bhuna to Uklana via khajrin Jatti ;

(iii) Bus from Beegarh to Miang Khan Dani ; and

(iv) Fatehabad to Bhattu via Sirahan ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affiirmative, the reasons therefor ; and

(c) whether there is any proposal under consideration to restore the plying of these buses on the said routes; if so, the

time within which these are likely to be restored ?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) Yes, some changes have been made on admin strative grounds. The route-wise position is as under :—

(i) Out of 4 services only one service has been

suspended.

(ii) No service has been suspended.

(iii) No.

(iv) Yes.

(b) In regard to (i) one service was curtailed on account of non-arrival of buses in replacement of condemned ones. In regard to (iv)- bus service on Fatehabad-Bhattu direct route is in operation, but the service introduced via Sirahan had to be stopped as there was no traffic potential and there is shortage of buses also.

(c) (i) The suspended trip on Bhuna-Rattia via MohammadpurSottar is likely to be restored in the first week of December, 1986.

(ii) The service on Fatehabad-Bhattu via Sirahan, is not likely to be revived in the near future.

10.00 बजे

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि बीघढ से मियाखा ढानी की बस सर्विस सस्पैडं नहीं की गई है । यह बात सही नहीं है ।पिछले तीन दिनों में जो लोग मेरे पास आए हैं उन्होंने मुझे बताया है कि बस सर्विस सस्पैंड है । लगता है कि मिनिस्टर साहब को औफिस ने गलत रिपोर्ट दी है । वहां तो कई महीनों से बस नहीं जा रही है । क्या मिनिस्टर साहब इस बात की इंक्वायरी करवाएंगे?

कर्नल राब राम सिंह : स्पीकर साहब, बीघढ से मियाखा ढानी को रोज दो राउन्ड ट्रिप चलते हैं । 7 जुलाई, 1986 से 28 अगस्त 1986 तक वहां चूंकि भारी वर्षा के कारण सड़क टूट गई थी । इसलिए सर्विसिज सस्पैंड रहीं । 28 अगस्त से रूट धू हो गया है । उसके बाद दोनों सर्विसिज शुरू हौ गई हैं और राउन्ड ट्रिप्स बाकायदा चल रहे हैं ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये बरवाला से भूना बाया दौलतपुर एक लोकल बस चलाने की कृपा करेंगे क्योंकि इस रूट पर लोगों को काफी दिक्कत है? इससे बरवाला, टोहाना और धिराया तीन कास्टिचुऐंसीज कनैक्ट हो जाएंगी ।

कर्नल रवि राम सिंह : स्पीकर साहब, नैन साहब ने जिस रूट पर लोकल बस सर्विस चलाने की बात कही है उस रूट पर मेरे ख्याल में काफी हैवी ट्रैफिक है । कितनी सर्विसिज वहां चल रही हैं, ये फिगर्ज इस वक्त तो मेरे पास नही है लेकिन अगर वहां कमी हुई तौ ऐडीशनल बस सर्विस चलाएंगे । इस वक्त मैं यह जरुर प्वायंट आउट करूंगा कि हमारा रिप्लेसमैंट शड्यूल काफी पीछे चल रहा है । Due to shortage of funds we were about 70 buses short of our fleet strength last year because of buses being comdemned फण्डज का इन्तजाम कहीं से लोन लेकर किया जा रहा है ।पैसे का इन्तजाम होते ही फ्लीट स्ट्रैग्थ पूरी हो

जाएगी और जहां भी ऐडीशनल बस सर्विसिज मांगी जाएगी, वहां वे अवश्य चलाई जाएंगी ।

(इस समय बहुत से सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खडे हुए ।)

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अगर कोई सदस्य मेन क्वैश्चन में पूछे गये इलाके से सम्बन्धित रैलैवैन्ट क्वैश्चन पूछना चाहता है तो वह पूछ सकता है, जनरल क्वैश्चन नहीं । मिनिस्टर साहब काबिल है, इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया जेब में रखा हुआ है ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : वैसे तो जनता को बढ़िया यातायात सुविधाएं देने में हरियाणा का नाम सारे देश में मशहूर है लेकिन क् एक बात मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा । पिछले दिनों कुछ लोगों को थ्री–व्हीलर्ज चलाने के लिए रूट परमिट्स दिए गए थे । फरीदाबाद में कोई 20 केसिज ऐसे होंगे । बाकी हरियाणा में भी बहुत से केसिज होगें । इन लोगों ने बैकों से लोन लेकर थी –व्हीलर्ज खरीदे थे और अपनी रोजी रोटी का साधन जुटाया था । जनता को भी इनके चलने से काफी सुविधा हुई थी । बाद में चूंकि सरकार ने उनके रूट परमिट्स कैसल कर दिये इसलिए उन्हे उनको चलाते वक्त पुलिस का सामना करना पड़ता है । में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन

लोगों ने बैकों से लोन लेकर ये थी–व्हीलर्ज खरीदे हैं, क्या उनको रूट परमिट देने के बारे में सरकार गौर करेगी?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, श्री महेन्द्र प्रताप जी का यह कहना दुरुस्त है कि थी–व्हीलर्ज की काफी भारी समस्या हरियाणा में चल रही है । जब ट्रासपोर्ट नैशनेलाईज हो गई थी उस वक्त इनका चलना बन्द कर दिया था । थी –व्हीलर्ज को चूंकि आम तौर पर पुअरर सैक्शन औफ सोसायटी चलाता है इसलिए मैंने तो इनकी तरफ सिम्पैथैटिक ऐटीव्यूड अपनाया है । स्पीकर साहब, नौर्मली हमारा रैवेन्यू 3 रुपये प्रति किलोमीटर फी बस आता है । जहां हमारा रैवेन्यू 1 रुपये से नीचे चला जाता हें वहां बस सर्विस को सस्पैंड करके भी–व्हीलर परमिट देने की कोशिश की जाती है । इस वक्त हर जिले में तकरीबन 100– 150 भ्री–व्हीलर्ज बगैर परमिट के चल रहे हैं । मैंने इंस्ट्रक्शन्ज दी हैं कि उनकी तरफ बड़ा सिम्पैथैटिक ऐटीच्यूड इस्तेमाल किया जाए । स्पीकर साहब, इसके अलावा एक दिक्कत और है । उन्हें 6 सवारियां बैठाने की इजाजत होती है लेकिन वे 35 और 40 सवारियां बैठाते हैं । इससे ऐक्सीडैट का रिस्क बढ़ता है । मैंने इंस्ट्रक्शन्ज दी हैं कि जो ज्यादा ओवर–लोड करेगा उसका चालान किया जाए लेकिन जो थोड़ी बहुत ओवरलोडिंग करे उसके साथ सिम्पैथैटिकली डील किया जाए । ग्रैजुअली हम उनको परमिट देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन श्री व्हीलर्ज की फयूचर रजिस्ट्रेशन

बन्द है । अगर कोई अब भी थ्री –वहीलर्ज खरीद कर चलाएंगे तो उन्हें हम परमिट नहीं दे सकेंगे ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि फतेहाबा –भटटू वाया सिरढान बस सर्विस अभी रिवाइव होने की उम्मीद नहीं है । मेरे ख्याल में यह केवल एक किलोमीटर का डिस्टैन्स है । इन्होने यह भी कहा णै कि बसों की कुछ कमी है । लेकिन मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जब बसों की पोजीशन ठीक हो जाएगी तो क्या इस बस सर्विस को चलाने की कृपा की जाएगी?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, अगर मैम्बर साहब इतने कीन हैं तो मैं एक महीने के लिए इस सर्विस को चालू करवा दूंगा । अगर रिसीट एक रुपया प्रति किलोमीटर से कम हुई तो अनफार्चुनेटली मुझे इस सर्विस को सस्पैड करना पड़ेगा ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, देखने में यह आया है कि जहां एक महीना बस चलती है और रिसीट एक रुपया प्रति किलोमीटर से ज्यादा होती है वहां रोड इंस्पैक्टर उसे कम दिखाता है । क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि यदि ऐसी बात इन के नोटिस में लाई जाए तो ये उस रोड इंस्पैक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और वहां बस सर्विस फौरन चलाने की कृपा करेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, श्री अमर सिंह जी ने जो रैवन्यू को कम दिखाने वाली बात कही, यह ठीक नहीं हो सकती । पैसा लेकर तो जमा कर– वाना पड़ेगा । यह हो सकता है कि कंडक्टर टिकट न काटे लेकिन चौकर ने तो चौक करना होता है कि सबके टिकट काटे हैं या नही । अगर इंस्पैक्टर ने कहीं कोई कसूर किया है और माननीय सदस्य मेरे नोटिस में ऐसी बात लाते हैं तो उसके खिलाफ अवश्य जरुरी कार्यवाही की जाएगी ।

Population Growth Rate

***1223. Shri Brij Mohan :** Will the Minister for Health and. Ayurveda be pleased to state—

(a) the present growth rate of population in the State ;

(b) whether the said rate is under control ;

(c) the incentives being provided at present to check the rate of growth ;

(d) whether there is any State in the country which is providing more incentives as compared to the Haryana State ; and

(e) if the reply to part (d) above be in the affirmative, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the same incentives in the Haryana State ?

Health Minister (Shri Goverdhan Dass Chauhan) :

(a) 26.1 per thousand population.

(b) Yes.

(c) (I) Incentives as per Government of India Pattern

(i) Sterilization Aceeptors Rs. 100/IUD-acceptors Rs. 9/-

(ii) Motivators

Vasectomy Rs. 15/-

Tubectomy Rs. 10/-

(II) Additional Incentives By State Government

(i) Sterilization acceptors with two or less children Rs. 400/-

(ii) ½% rebate on the interest on the house building loan to Govt. employ e, who undergoes sterilization after having three or less living children.

(iii) One special increment to the Government employee, who undergoes sterilization operation after 3 or less living children.

(iv) 7 days special leave to all Government employees, who undergo sterilization operation.

(d) No.

(e) Question does not arise.

श्री बृज मोहन : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जवाव दिया कि हरियाणा में पापुलेशन देश के अन्य राज्यों की बनिस्बत सबसे अधिक चौक्ड है जहां तक आपरेशन्ज का सम्बन्ध है, क्या मंत्री जी जवाब देंगे कि जिला स्तर पर छोटे कर्मचारियों को सर्विस ज्वाइन करने से पहले आपरेशन के केसिज लाने के लिए हैरास क्यों किया जाता है ।

श्री गोवर्धन दास चौहान : स्पीकर साहब, किसी को हैरास नहीं किया जाता ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, नवी जी ने प्रेजैन्ट ग्रोथ रेट आफ पापुलेशन 26.1 पर थाउजैन्ड बतायी है । क्या डैथ रेट भी बताने की कृपा करेंगे?

श्री गोवर्धन दास चौहान : दैव रेट 9 परसैन्ट है ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जनरल पब्लिक के लिए इनसैन्टिवज बताये हैं । क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हरिजनों के लिए कोई एडिशनल इनसैन्टिवज भी हैं? अगर नहीं हैं तो क्या वीकर सैक्शनज को एडिशनल इनसेन्टिवज दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि वीकर सैक्शनज के ज्यादा आप्रेशन्ज होते हैं? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो लेडीज आप्रेशन करवाती हैं, उनके केस मैं उनके पति उस पैसे को ले जाते है और लेडीज को कोई इनसैन्टिव नहीं मिलता । क्या गवर्नमैंट की कोई ऐसी स्कीम

है जिसके तहत लेडीज को साड़ी या कोई कपड़ा आदि दिया जाए?

श्री गोवर्धन दास चौहान : स्पीकर साहब, हरिजनों के लिए कोई स्पैशल रियायत नहीं है । जहां तक लेडीज को इनसैन्टिव देने की बात है, हम तो लेडीज को ही पैसा देते हैं । अगर उसका पति ले जाता है तो वे आपस में ही निपटें ।

चौधरी दिलू राम बाजीगर : अभी मंत्री जी ने बताया है कि जिसका आप्रेशन किया जाता है उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती है । पिछले शुक्रवार को मैं हाउस अटैन्ड करने के बाद 9– 10 बजे के करीब कैथल से गुजर रहा था । मैं किसी मरीज को मिलने गया था । वहां हस्पताल के बाहर बीस आदमी बैठे हुए थे । उन्होंने मेरी गाड़ी को रोक लिया । मैंने पूछा कि क्या बात है । उन्होंने बताया कि हमारे किसी आदमी का आप्रेशन हुआ था, 12 बजे से हम यहां बैठे हुए हैं लेकिन गाड़ी छोड़ने के लिए नहीं गई । मैने कहा कि डाक्टर को बुलाओ । डाक्टर ने जवाब दिया कि अगर एम ० एल ० ए० को ज्यादा चिन्ता है नो अपनी गाड़ी में छोड़ आएं । इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी हालत में उन्हें उनके घर तक छुड़वाने का प्रबन्ध करेंगे?

श्री गोवर्धन दास चौहान : ऐसी बात नही है । जिस किसी का हम आप्रेशन करते हैं उसको खुद ही छोड़ कर आते है । मैंने विभाग को हिदायत दी हुई है कि जिसका आप्रेशन हो,

उसे उसके घर छोडकर आएं और दूसरे उसे दस दिन चौक करेंगे ताकि आप्रेशन खराब न हो । अगर ऐसी बात है तो मैं इन्कवायरी करवाऊंगा, कोई कसूरवार होगा तो जरूर सजा देंगे ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपनी स्टेट का प्रेजैन्ट ग्रोथ रेट तो बता दिया । क्या मंत्री जी इंडिया का या आसपास की स्टेट्स का भी बताएंगे? दूसरे जैसे दिलू राम जी ने कहा है कि डाक्टर केयर नहीं करते हैं । अगर ऐसी मिसालें उनके नोटिस में लाई जाएं कि लापरवाही बरती जाती है और मरीज की तसल्ली नहीं की जाती है, तो क्या उन्हें दुरुस्त करेंगे?

श्री गोवर्धन दास चौहान : स्पीकर साहब, मैंने अभी बताया है कि डिपार्टमैंट को हिदायतें दी हुई हैं कि आप्रेशन करने के दस दिन बाद तक मरीज का पूरा म्यान रखेगे, जब तक उसके जख्म ठीक न हो जाएं । जहां तक इंडिया के ग्रोथ रेट या दूसरी स्टेट्स के ग्रोथ रेट की बात है, उसके बारे में मेरे पास इन्फर्मेशन नहीं है । अगर मैम्बर साहब आइन्दा कोई ऐसी बात नोटिस में लाएंगे कि फलां जगह पर कोताही हुई है तो मैं जरूर इन्कवायरी करवाऊंगा ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, क्या मती जी के नोटिस में यह बात है कि कई हस्पतालों में डाक्टर्ज की लापरवाही की वजह से आप्रेशन खराब हो जाते हैं, क्या सरकार उनका

इलाज कराने के लिए सारा खर्च. देगी? दूसरे जब किसी मरकारी मुलाजिम का आप्रेशन खराब हो जाता पं, तो क्या उस के इलाज के दौरान उस सरकारी मुलाजिम की सरकार की ओर से छुट्टियों का प्रबन्ध किया जाएगा?

श्री गोवर्धन दास चौहान : अगर आप्रेशन खराब हो जाता है तो उसके इलाज का पूरा प्रबन्ध सरकार करेगी और गवर्नमैंट सर्वेन्ट्स को छुट्टियां भी देंगे ।

Production of Cotton in the State

***1185. Shri Jagdish Nehra :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the steps, if any, taken or proposed to be taken to increase the production of cotton crop in the State ;

(b) the price of cotton being paid to the cotton growers at present; and

(c) whether the price, as referred to in part (b) above, is remunerative ?

कृषि मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(ख) कपास की किस्म व क्वालटी के आधार पर इस समय राज्य की विभिन्न मण्डियों में कपास चर गदकों को 365/–

रुपये प्रति क्विटल से 430/– रुपये क्विंटल तक की कीमत दी जा रही है ।

(ग) कुछ एक किस्मों को छोडकर' किसानो को कपास की पयप्ति कीमतें मिल रही हैं!

सूचना

हरियाणा राज्य में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं –

(1). सिरसा, हिसार, भिवानी तथा जीन्द जिलों में कपास का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य–सरकार ''सधन कपास ' विकास प्रोग्राम' ' नाम –की स्कीम चला रही है ।

(2) कपास की उन्नत किस्मों के टोडर व फाउन्डेशन बीज के उत्पादन के लिये प्रति वर्ष हरियाणा कृषि विश्व–विद्यालय, हिसार को ग्रान्ट–इन–ऐड दी जा रही है

(3) किसानों को कपास की सिफारिश शुऋदा किस्मों की ऐसिड डिलीन्टिड बीज पर 250/– रुपये प्रति क्विंटल की दर से व मशीन से डिलीन्टिड बीज पर 150/– रुपये प्रति क्विटल की दर से सबसीडी दी जाती है ।

(4) किसानों को कपास बीजने की तकनीक का ज्ञान कराने हेतू किसानों के खेतों में ही प्रदर्शन प्लाट लगाए जा रहे हैं ।

(5) कपास की फसल पर विभिन्न बिमारियों व कीड़ों की रोकथाम के लिए कीटनाशी दवाईयों के हवाई छिडकाव की सुविधा राज्य में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिस पर सबसिडी भी दी जाती है इसके अतिरिक्त ग्राउन्ड स्प्रे के लिए भी किसानों को पौधा संरक्षण संयत सबसिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

(6) कृषि विभाग के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को कपास बीजने की तकनीक बारे अवगत कराया जा रहा है ।

(7) डींग, रतिया व भट्टूकलां में 9.74 करोड रुपये की लागत से सहकारी क्षेत्र में 3 काटन सीड प्रोसैसिंग यूनिट्स लगात गए क्लैप ।

(8) हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा हिसार में 3.47 करोड़ रुपये की लागत सै एक काटन सीड प्रोसैसिंग प्लांट लगाया गया है, जिसमें कपास की जिनिंग व प्रोसैसिंग के यूनिएंट्स भी लगाए गए है।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने कहा है कि कपास की खरीद ठीक हो रही है । यह बिल्कुल गलत है । आज के दिन मडिण्यों में कपास की हालत बहुत बुरी है । किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है । मती महोदया नें कहौ कि 365 से लेकर 430 रुपए क्विंटल तक की कीमत दी जा रही है,

ऐसी बात नही है । एकाध किसान को ही 430 रुपए कीमत मुश्किल से मिलती है । मैं आपके जरिए मैत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सी० सी० आई० को हिदायत करें कि जो सरकार की 415 और 430 रुपए स्पोर्ट प्राइस है उसी के भाव से कपास की खरीद की जाए । दूसरे जिस दिन कपास मंडी में लाए, वह उसी दिन खरीदी जाए ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, सी ० सी० आई ० को खूब हिदायतें की जा रहो णै । मुख्य मन्त्री जो ने टेलिफोन पर भी बात की है और लिख कर भी भेजा है । मैं नेहरा साहब को इत्तलाह के लिए बताना चाहूंगी कि हमारी स्टेट में इस साल दस लाख 59 हजार क्विंटल कपास आई है, जिसमें से 3 लाख 7० हजार सी ० सी ० आई ० ने खरीदी है जबकि पड़ौसी राज्य पंजाब में तीस लाख मार्किट में आयी है इसमें से तीन लाख 14 हजार क्विंटल खरीदी है । इसी तरह से राजस्थान में आठ लाख आयी है उसमें से दो 'राख 24 हजार खरीदी है । पिछले साल हमारी स्टेट से केवल 91 हजार क्विंटल कपास खरीदी गई थी । हम सी० सी ० आई ० पर हमेशा जोर देते रहे हैं लेकिन इस में समस्या यह आ जाती है कि देसी कपास का भाव अच्छा जा रहा है, दूसरी कपास में मिलावट की वजह से भाव कम रह जाता है ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहव, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया । मंत्री महोदया ने तुलनात्मक फिगर्ज दे दी । मैंनै अब यह किया है कि वे सी ० सी छ आई ० को डेली

हिदायतें करें । दूसरे हरियाणा में कितनी कपास मंडियों में आती हैं और कितनी की डेली तुलाई होती है यानि रोजाना कितनी वहां से उठायी जाती है, इन बातों के बारे में मंत्री महोदया बताने का कष्ट करें?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : रोजाना कितनी कपास आती है, इसका मेरे पास जवाब नहीं है । अगर मैम्बर साहब अलग से नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जाएगा । हमारे यहां कपास की 15 मंडियां हुं लेकिन किसानों की दिक्कत को देखते हुए 20 परचेज सैन्टर और खोले हैं ताकि किसानों की कपास साथ–साथ खरीदी जा सके ।

श्री अध्यक्ष : क्या आपने काटन ग्रोइंग एरिया की मंडियों में विजिट की है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : जी नही ।

श्री अध्यक्ष : एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपको किसी वक्त तो जाना चाहिए था ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, जब मेरे पास यह शिकायत आई तो मैंने सभी मंडियों में अधिकारियों को भेजा । जब सारी मंडियों से यह रिपोर्ट आयी कि कपास पूरी नहीं उठायी जा रही है तो हमने फैसला किया कि ये 1 न मंडियां सारी कपास नही खरीद पाती हैं इसलिए 20 परचेज सैन्टर और खोले गए । ये

परचेज सैन्टर हिसार और सिरसा में ही ज्यादा खोले गए है क्योंकि वहां पर कपास ज्यादा होती है ।

(इस समग्र बहुत से सदस्य सवाल पूछने के लिये खड़े हुए ।)

तारांकित प्रश्न संख्या 1185 पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देना ।

श्री अध्यक्ष : इस सवाल पर अभी काफी मैम्बर साहेबान सप्लीमैंटरी पूछना चाहते हैं, इसलिए इस प्रश्न पर आधे घंटे की सैपरेट डिस्कशन कर लेंगे । इसके लिए मती महोदया भी कल तैयारी करके आएं ।

आवाजें : ठीक है जी ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Office for registration of deeds, vehicles etc.

***1202. Seth Ram Dass Dhamija :** Will the Minister of State for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an office of registering authrity for the registration of deeds, vehicles and collection of vehicle taxes etc., in Ambala Cantt. ; if so, the time by which it is likely to be set up ?

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : No, Sir.

सेठ राम दास धमीजा : क्या मंत्री महोदय बताएगे कि पिछले साल में अम्बाला कैन्ट में कितने व्हीकल्ज का टैक्स जमा हुआ है और कितने की रजिस्टेरशन हुई है? दूसरे अगर रजिस्ट्रिग अथोरिटी का आफिस सात दिन अम्बाला कैन्ट में नहीं खोल सकते तो क्या तीन दिन वहां रजिस्टेरशन और व्हीकल्ज टैक्स जमा कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री निर्मल सिंह स्पीकर : साहब, अम्बाला सब–डिवीजन में जून 1984–85 तक जो व्हीकल्ज की रजिस्ट्रेशन हुई, वह 10033 थी उसमें से अम्बाला कैन्ट को जो व्हीकल्ज थी, वह 3,944 थी । दूसरी बात के लिए अभी कोई विचार नही है क्योंकि अम्बाला शहर मे इसकी व्यवस्था है ।

Diseonnection of tubewell connections

***1210. Chaudhri Dharambir Gauba :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the circumstances under which tubewell connections are disconnected on temporary and permanent basis; and

(b) the authorities which have been vested with the powers to restore such connections ?

Irrigation & Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : (a & b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The tubewell connections can be temporarily disconnected for one or more of the following reasons :—

(i) On non-payment of energy bill ;

(ii) On specific request by the consumer ;

(iii) For contravention by the consumer of any provisions of the Indian Electricity Act or breach of his agreement with the Board; or

(iv) On detection of theft/pilferage of electricity

2. The connection can be permanently disconnected for one or more of the following reasons :

(i) On non-payment of energy bill within one month of temporary disconnection ;

(ii) On specific request of consumer ;

(iii) On non-compliance of directions issued by the competent authority for temporary disconnection due to violation of the agreement.

(b) In the above cases, the connection can be restored by the following authorities :

1. Temporary disconnection

(i) SDO/J.E. incharge on receiving the payment.

(ii) On expiry of the period for which the disconnection had been sought by the consumer ;

(iii) incharge on compliance of violations of

agreement
for which the connection is disconnected temporarily

(iv) SDO/J.E. incharge on receiving the cost of pilferred electricity alongwith enhanced security and penalty imposed.

2. Permanent disconneetion :

(i) Chief Engineer incharge after receiving the outstanding dues alongwith enhanced security in respect of ail cases.

(ii) No re-connection is allowed, if the connection is permanently disconnected on consumer's request.

(iii) Chief Engineer incharge after the compliance of directions is made by the consumer.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि नान–पेमैंट की बिनाह पर गुड़गांव मे कितने कनैक्शन डिस–कनैक्ट हुए हैं?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, अकेले गुड़गांव की इन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है । सारी स्टेट की तो है । पूरी स्टेट में सितम्बर, 1986 तक 4,758 ट्यूबैल्ज के कनैक्शन आन अकाउन्ट आफ डिफाल्ट इन पेमैंट परमानैटली डिस्कनैक्ट हो चुके हैं । यह सारे सालों का टोटल है 1 डिस्ट्रिक्ट–वाईज इन्फर्मेशन मेरे पास नहीं

श्री भले राम : स्पीकर साहब, एक बार कनैक्शन कटने के बाद जब किसान दोबारा लगवाता है तो क्या होता है कि अगर 20 उससे पहले एप्लीकैट्स पड़े हैं तो उसका नम्बर 21वां पड़ता है । जब वह सारी पेमैंट कर देगा फिर भी उसकी सीनियोरिटी कनैक्शन के मामले में काफी पीछे चची जाऐगी । ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका क्या कारण है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सर, टयूबवैल्ज के केस में तो ऐसी बात नहीं हे । मैं स्पष्ट कर देता हूं । अगर किसी जनरल कंज्यूमर का कनैक्शन नान–पेमैंट की बिनाह पर टैम्परेरी डिसकनैक्ट हो जाता है और वह एक महीने के अन्दर–2 डयूज की पेमैन्ट कर दे तो कनैक्शन लग जायेगा । जहां तक टयूबवैल के कनैक्शन का सम्बन्ध है, टैम्परेरी डिस्कुनैक्शन के बाद उसका पैसा जमा करवाने के लिए 90 दिन यानी 3 महीने का टाइम दिया जाता है और अगर वह इस अर्से में पैसा जमा नहीं करवाता तो टयूबवैल परमानैन्टली डिस्कनैक्ट किया जा सकता है । आप देखेगें कि जनरल कंजयूमर्ज को तो एक महीने का टाईम देते हैं लेकिन टयूबवैल्ज के लिए हमने 90 दिन का टाईम दिया हुआ है । जो स्टेटमैन्ट मैंने अपने जवाब में दी है, उसमें गलती से एक महीने का टाईम जो हम जनरल कंज्यूमर्ज को देते हैं, वह लिख दिया है इसलिए टयूबबैल्ज के लिए if the bill is paid within 90 days of temparary disconnection, then it can be reconnected.इस बारे में सरकार ने टयूबवैल ओनर्ज को कुछ कन्सैशन्ज दिये हैं क्योकि अगर टयूबवैल को परमानैटली

डिसकनैक्ट कर देगें तो खेती का नुक्सान होता है । मेरा कहने का मतलब यह है कि हम वक्त–वक्त पर इक्को रिलैक्सेशन भी देते रहते हैं । फरवरी 1986 में हमने यह फैसला किया था कि तीन महीने के बाद भी, चाहे उसको डिसक्नैक्ट हुए 6 महीने या 8 महीन हो गये हैं, अगर वह थी टाईम्ज सिक्योरिटी देंगे तो उनको पुरानी प्रायरिटी देकर री–कनैक्ट कर देगें । इसी साल नवम्बर के महीने में हमने एक फैसला और किया है । भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गाँव और रोहतक के जो जिले हैं, इनमें ड्राउट कंडीशन्ज हैं । इनके लिये हमने यह निर्णय किया है कि अगर किसी का कनैक्शन नान–पेमैंट की वजह से डिसकनैक्ट हो गया है तो उससे बिना तीन गुना सिक्योरिटी लिये भी कनैक्शन दे दिया जायेगा बशर्ते कि उसकी पिछली तीन फसलें न हई हों और वहां पर ड्राउट रहा हो ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, जैमें कि मती जी को पता शै कि जब सिक्योरिटी से डयूज की पेमैंट बढ़ जाती है तो उनका कनैक्शन काट दिया जाता है । यह सिर्फ टयूबवैल्ज के बारे में है या इंडस्ट्रीज के बारे में है । क्या बड़ी इंडस्ट्रीज का भी कनैक्शन काटते हुं या नहीं, हालांकि बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ सरकार के लाखों रुपये बकाया हैं ?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सर, यह सवाल तो टयूबवैल्ज के बारे में है । बड़ी इंडस्ट्रीज को कोई कन्सैशन नहीं

हैं । जनरल कंजयूमर्ज की तरह से 30 दिन के बाद उनका भी कनैक्शन परमानैटली डिसकनैक्ट कर देते हैं ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लोहारु को एम०एल०ए ० ने एक एजीटेशन सी चला करके, खुद तो टयूबवैल का बिल देता रहा, लेकिन लोगों को एजीटेट करता रहा और उन बिनाह पर बहुत सारे किसानों के कनैक्शन डिस–कनैक्ट हो गये, शायद यह बात इनके नोटिस में है । अगर है तो क्या उन को दौबारा कनैक्शन दिया जायेगा या दे दिया गया मै?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, जैसे चौधरी अमर सिंह जी ने कहा, मुझे एग्जैक्ट महीना तो याद नही है, हां, लगभग साल–डेढ़ साल पहले लोहारु में और भिवानी के इलाके में कुछ लोगों ने एजीटेशन इस बारे में चलायी थी और एनर्जी के बिल पे नहीं किये । उसमें बहुत से किसानों के टयूबै'ल्ज के कनैक्शन्ज डिसकनैक्ट हो गये थे । उसके बाद किसानों का एक डैपुटेशन चौधरी सुरेन्द्र सिह जी की रहनुमायी में यहां पर आकर मिला था । उसके बाद उनकी पूरी बात सुनकर सरकार ने यह निर्णय लिया था कि तीन महीने के अन्दर–अन्दर, अगर वे एनर्जी के एरियर्ज क्लीयर कर देंगे तो उनके कनैक्शन री–कनैक्ट कर देंगे । उनको हमने री–कनैक्ट कर भी दिया था । कोई रीसैंट अकरैंस हो, वह मुझे इस वक्त पता नहीं है (विघ्न) सर मुझे अभी पता चला है कि श्री हीरा नन्द आर्य जी एम० एल०

ए० अपना बिल तो भरते रहे लेकिन लोगों को कहते रहे कि तुम अपना बिल न भरों । इस बिनाह पर काफी लोगों के कनैक्शन कट गये थे ऐसा करना बहुत ही गलत बात है ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर साहब जो स्खाग्रस्त जिले हैं, जैसे महेन्द्रगढ है, गुड़गांव है मन्त्री महोदय ने नाम लेकर कहा है कि वहां पर जिनके कनैक्शन नान– पेमैन्ट की बिनाह पर काट दिये गये हैं, उनसे पेमैंट लेकर कनैक्शन जोड़े जा रहे हैं । मैं फली महोदय को यह बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद जिला भी उन जिलों की तरह पूर्णतया सूखाग्रस्त एरिया है क्योकि वहां पर भी फसल फेल हो गई है । क्या वहां पर भी इसी आधार पर कनैक्शन दिए जाएंगे?

श्री अध्यक्ष : आपके अपने कनैक्शन का क्या हाल है? (हंसी)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : मेरा कनैक्शन भी इनके साथ ही जुड़ा हुआ है ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, बगैर किसी एकस्ट्रा पेमैंट के हमने केवल उन किसानों को कनैक्शन दिए हैं जिनकी फसलें पिछले तीन साल से लगातार सूखे की वजह से बरबाद हो गई हैं । उनसे हमने बिना तिगुना जमा कराए, उनको दुबारा कनैक्शन दिया है । मैं फरीदाबाद जिले के बारे में

पता कर लूंगा । अगर वहां इस तरह की कंडीशन्ज हुई तो यह कन्सैशन उनको भी दे देंगे ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, कुछ फार्मर्ज जो हरिजन या बैकवर्ड क्लासिज के हैं और छोटे हैं, वे बड़ी मुश्किल से लोन लेकर ट्यूबवैल्ज लगाते हैं । क्या उनको कनैक्शन देने में कुछ प्रायरिटी दी जाएगी या नहीं?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, प्रायरिटी देने के लिये एक लिस्ट बनी हुई है । कनैक्शन में प्रैफरैसं देते वक्त कई चीजें कसीडर की जाती हैं । वैसे यह सवाल प्रैफरैस के बारे में नहीं था । प्रायरिटी के लिये 5– 6– 7 कैटेगरीज बनी हुई हैं, जो जिस कैटेगरी में आता है, उसको उसी हिसाब से प्रायरिटी मिलती है । उसमें ऐसा भी है, जिसकी जमीन खराब है, बैंक से कर्जा लेकर ट्युबवैल लगाता है, उसके लिये भी एक प्रायरिटी कैटेगरी है । हो सकता है कि हरिजनों के लिये भी कोई प्रायरिटी हो । मैं आफ हैंड इस वक्त कुछ नहीं कह सकता । अगर इस बारे में सैपरेट सवाल पूछा जायेगा तो पूरी इन्फर्मेशन दे दूंगा ।

चौधरी कुन्दन लाल : स्पीकर साहब, देहात के अन्दर बिजली के बिलों की तकसीम करने का जो तरीका है, वह बिल्कुल नातसल्लीबख्श है । किसी दुकानदार के यहां या किसी चक्की वाले के यहां पर बिल डाल जाते हैं जिसकी वजह से कई बार

लोग बिल नहीं भर पाते और उसका कनैक्शन कट जाता है । क्या मती महोदय इस के लिये कोई प्रबन्ध करेगे कि देहात में यह बिल उनके घरों में भेजे जायें?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : आम तौर पर तो कंज्यूमर्ज को ही बिल डिलीवर करना होता है लेकिन मैं नहीं कह सकता कि कहीं पर कोताही न होती हो क्योंकि ऐसे कर्मचारियों की गिनती हजारों में है जो बिलों को डिस्ट्रिब्यूट करते हैं । अगर किसी कम् कनैक्शन इस बात पर डिसकनैक्ट होगा कि उसको बिल नहीं मिला तो उसका री–कनैक्शन बिना पैनल्टी के हो सकता है । जिसने ऐसी कोताही की है, उसके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है ।

चौधरी रोशन लाल आर्य : स्पीकर साहब, किसानों के ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन जो काटे जाते हैं उसका कारण मेरे नोटिस में आया है और वह कारण है कि जब ट्रांसफारमर खराब हो जाता है तो दो–दो, तीन–तीन महीने उसको रिप्लेस नहीं किया जाता और किसान समझता है कि अब उसको बिजली नहीं मिलेगी इसलिए बिजली का बिल भी देने की जरूरत नहीं है । इस तरह के केसिज मेरे नोटिस में हैं जहां ट्रांसफारमर न होने की वजह से लोगों को बिजली की सप्लाई नहीं हुई और किसानों ने बिजली के बिल जमा नहीं किए और बिजली बोर्ड ने उनके कनैक्शन काट दिए लेकिन बाद में बिजली बोर्ड ने उनके कनैक्शंज को रि–कनैक्ट नहीं किया । अभी मन्त्री जी ने बताया है कि इतनी

सारी सुविधाएं सरकार ने किसानों को दी हैं । मेरा जाति तजुर्बा है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी लोगों को गुमराह करते हैं और हमको भी बहुत सी बातों का पता नहीं होता । अगर ये इंस्ट्रक्शंज बिजली के दफ्तर के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाए तो सभी लोगों को इनका पता लग सकता है मैंने जगाधरी में बिजली बोर्ड वालों से पुछा कि तीन महीने में अगर कोई अपने ड्यूज दे दे तो क्या आप उसको रि–कनैक्ट कर देंगे । जगाधरी में बिजली वालों ने मुझे मना कर दिया । क्या मन्त्री जी बिजत्री बोर्ड की इंस्ट्रक्शंज नोटिस बोर्ड पर लगवाने के बारे में विचार करेंगे जिससे कि लोगों को सहूलियत मिल सके?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : नए नम्बर में प्रायरिटी लेने की दूसरी बात है और ट्रांसफार्मर जलने के बाद लोगों ने बिल का भुगतान नही किया, यह अलग बात है । ये दोनों अलग–अलग बातें हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब क्वैश्चन आवर समाप्त होता है ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of bus stops in Fatehabad Constituency.

***1218. Chaudhri Lila Krishan :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct bus stops in Fatehabad Constituency ; if so, the number

thereof and the places where these are likely to be constructed during the current financial year ?

परिवहन मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) : हां । वर्ष 1986–87 के दौरान फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र को दरयापुर और चिरडाना मोड़ गावों में दो बस क्यू शैल्टर के निर्माण का प्रस्ताव है और ये बस क्यू शैल्टर मार्च 1987 के अन्त तक निर्मित कर दिए जायेंगे ।

Government College, Jind

***1224. Shri Brij Mohan :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of students in the Government College Jind at present ;

(b) whether the existing building of the college is sufficient to accommodate the students ;

(c) if no, whether there is any proposal under consideration of the Government to add more rooms in the said building ; and

(d) if the reply part.(c) above be' in the affirmative the number of additional rooms to be provided and the time by- which they are likely to be constructed ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(क) 1837

(ख) जी हां ।

(ग) आवश्यकता नही ।

(घ) आवश्यकता नहीं।

ध्यानाकर्षण सुचना–

राज्य में मलेरिया के फैलाव सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री जगदीश नेहरा, एम०एल०ए ० की ओर से पिछले कुछ महीनों में हरियाणा में एपीडेमिक आफ मलेरिया एटसैट्रा के बारे मे काल अटैन्शन मोशन का नोटिस मिला है । मैं इसे एडमिट करता हूं । नेहरा साहब अपना नोटिस पढ़ दे ।

Shri Jagdish Nehra : Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance that during the months of July and August, 1986 the epidemic of Malaria has spread to a great extent in Haryana. It was due to the excess of mosquitoes. The Government has claimed a number of times that the Malaria has been eradicated completely but in fact it is not so. During the last month, Malaria has spread to a great extent and even today number of people in Haryana are suffering from it. The medicine sprayed are ineffective on mosquitoes. In these circumstances it is the duty of the Government to take such steps by which flies and mosquitoes may be destroyed in Haryana and people may be saved from such epidemic. It is a matter of urgent public importance and what action has been

taken by the Government in this regard ? Why the Malaria has revived after its eradication ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री गोवर्धन दास चौहान) : स्पीकर साहब, मैं कल इसका जवाब दूंगा

दि इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker ; Now the House will resume discussion on the motion for the consideration of the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill,

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, मैं आपकी परमिशन से इसमें एक अमैंडमैंट मूव करना चाहता हूं । वह अमैंडमैंट यह है कि इस बिल की जो पांच से 12 तक क्लाजिज हैं, वे इसमें मे विदड्रा करके सिलैक्ट कमेटी को रैफर की जाएं और बाकी की जो क्लाजिज हैं उन पर डिस्कशन करके बिल को पास कर दिया जाये । अगर आप की परमिशन हो तो मैं यह अमैंडमैंट मूव कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप सारा बिल ही सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दें तो ठीक है । वह बिल नैक्सट सैशन में आ जाएगा ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इसमें आधी क्लाजिज कम्पन– सेशन के बारे में हैं । जो शहरों में

विजली की पुरानी अन्डरटेकिग्ज थीं और जब बिजली बोर्डज बने तो उनको ऐक्वायर कर लिया गया था । वे सारी असैटस के बारे में कम्पनसेशन क्लेम कर रही हैं और हम मार्किट वैल्यू दे रहे हैं । हम उनको बुक वैलयू पर कम्पनसेशन दे रहे हैं । सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है । मैम्बर्ज की हाउस के अन्दर और हाउस के बाहर यह ऐप्रीहैन्शन है कि बिल की जो पैनल्टी क्लाजिज है, उनमें जो छोटे कंज्यूमर्ज हैं, जो इन्नोसैन्ट हैं और जो इल्लिटरेट आदमी हैं, उनको शायद किसी तरह फंसाया जा सकता है । इमलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उनके इंट्रैस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इन क्लाजिज को सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए और बाकी क्लाजिज पर डिस्कशन करके बिल को पास कर दिया जाए । जो नौन– कंट्रोवर्शियल क्लाजिज हैं उनको पास कर दिया जाए, मेरा मतलब यह है कि जो कम्पन– सेशन से क्लाजिज ताल्लुक रखती हैं उनको तो हाउस में पास कर दिया जारा और पांच से बारह तक क्लाजिज को सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : पारशियल अमैंडमैट आफ दि बिल के मुताल्लिक कोई प्रैसिडैण्ट नहीं है ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, गवर्नमैंट कोई भी क्लाज विदड्रा कर सकती है, इसमे कोई प्रोब्लम नहीं है । अमैंडमैंट के द्वारा कोई क्लाज डिलीट हो सकती है और

क्लाज पेड भी हो सकती है । मेरे ख्याल मैं ऐसा करने में कोई लीगल या प्रोसीजरल हिच नही है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा करते हैं कि पहले बाकी के बिल ले लेते हैं और इस बात को कंसीडर करके इसको बाद, में ले लेंगे ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : ठीक है जी ।

बिल्ज–

(1) दि हरियाणा सीलिंग आन लैड होल्डिग्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार रैवेन्यू हरियाणा सीलिग आन लैंड होल्डिग्ज (अमैंडमैंट) बित, 1986 को कसीडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Sir I beg to move—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा, अनुसुचित जाति) : स्पीकर साहब, हाऊस के अन्दर जो हरियाणा सीलिग आन लैंड होल्डिग्ज

(अमैंडमैंट) बिल, 1986 जेरे बहस है यह सरकार का बहुत ही बेहतरीन कदम है । इससे पहले एक इंस्टालमैंट देने के बाद अलौटी मालिक तो बन जाता था लेकिन अलौटी को यह पावर नहीं थी कि वह बैक से ट्रांजैक्शन करके लोन ले सके या अपनी जमीन को प्लैज करके बैनिफिट उठा सके । अब सरकार ने यह प्रावधान किया है––

"On payment of full price or the first instalment thereof, as the case may be, the prescribed authority, where the allottee is not already in possession of the land, shall put him in possession thereof. The allottee shall, however, become the owner of the land on payment of the full price :

Provided that the allottee shall not be competent to transfer

स्पीकर साहब, सरकार ने अब यह पाकदी लगाई है यह बहुत ही बेहतरीन कदम है । पहले यह था कि अलौटी को जैसे ही जमीन अलोट होती थी और उसको आन पेपर या ऐक्चुअल पोजैशन मिलता था तो वह उसे इमीडिएटली उसी ओनर को सेल कर देता था । ऐसा करने से जो सरकार का गरीब आदमी को या ओल्ड टेनेन्ट को जमीन देने का मंशा था वह पूरा नहीं होता था । पाबन्दी लगाने से ओनरशिप पांच साल तक ट्रांसफर नहीं हो सकती, मतलब यह है कि वह अलौटी पांच साल तक उस जमीन को बेच नहीं सकता । यी बहुत ही बेहतरीन कदम है और इससे जो मुजारा या ओल्ड टेनैन्ट जिस जमीन पर बैठा है उससे रोजी

रोटी कमा सकता है । अब वह उस जमीन के अगेन्सट बैंक से या किसी दूसरे से लोन ले सकता है । इस अमैंडमैंट से अलौटी अब बैनिफिट उठा सकता है और साधन जुटा सकता है । पहले ये सहूलियते नही थी । बीज की सहूलियतें नहीं थीं । खाद की सहूलियतें नहीं थीं और न ही बैन्कस लोन देते थे । यह सभी सहूलियतें आज की डिफीक्लटीज को देखते हूए सरकार ने मुहैया की हैं । आज की जमीन ऐसी हो चुकी है कि अंग्रेजी खाद के बिना, ट्रैक्टर्ज की बहाई के बिना जमीन की पैदावार अच्छी नहीं होती । आज से बहुत साल पहले जमीन से बहुत ज्यादा पैदावार होती थी लेकिन आज कुरडी की खाद जमीन नहीं मांगती । आज जमीन अंग्रेजी खाद मांगती है, ट्यूबवैल्ज के पानी को मांगती है । टैरक्टर से बहाई मांगती है और यह सारे साधन तभी उपलब्ध हो सकेंगे जब किसानों को, गरीब लोगों को सभी प्रकार की सहूलियतें मिलेंगी । इसके लिये यह जो बिल हरियाणा सरकार यहां पर लेकर आई है, यह एक बड़ा ही रचनात्मक कार्य है । छोटे किसानों को, मुजारों को जो सरप्लस जमीन अलाट हुई है, इस बिल के तहत वे लोग भी इससे फायदा उठा सकते है । यह एक बड़ा ही बेहतरीन कदम है जो सरकार ने उठाया है । खास तौर पर हमारे रैवेन्यू मिनिस्टर साहब का, मैं इसके लिये धन्यवाद करता हूं कि उन्हॉने इस तरह का बिल हाउस में लाकर आज जनरल आदमी की हौसलाअफजाई की है । अन्त में मै एक बार फिर इस बिल का समर्थन करता हूं और इसके लिये अपनी सरकार व मिनिस्टर महोदय को धन्यवाद देता हूं ।

श्री जगदीश नेहरा (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को इस अच्छे कदम के लिये मुबारिकबाद देता हूं कि सरकार इस तरह का बिल हाऊस में लाई है । सरकार ने इस बिल के तहत छोटे मुजारों को काफी राहत दी है कि जो सरप्लस लैण्ड उनको अलाट की जाएगी, उसके वे एक किश्त देने के बाद मालिक बन जाएगे । एक किश्त देने के बाद उनको राईट आफ ओनरशिप मिल जाएगी । इसके साथ में सरकार ने एक कंडीशन रखी है कि वे उस जमीन को पांच सालों तक बेच नहीं सकेंगे, यह एक अच्छी बात सरकार ने कर दी है । पहले हरिजनों को जब भी एक एकड़ या दो एकड़ जमीन अलाट होती थी, वे आगे बेच दिया कर ते थे । अब वे इस विरर के तहत उस जमीन के पांच सालों तक मालिक नहीं बन सकेंगे और न ही उस जमीन को बेच सकेंगे लेकिन बैकों से लोन ले सकेंगे । इसके तहत यह होगा कि किसी दूसरे अदायरे से भी वे लोन की फैसिलिटीज अवेल कर सकेंगे और अपनी जमीन की इम्प्रूवमैन्ट कर सकेंगे । इसके साथ–साथ मैं यहां एक दो सुझाव देना चाहता हूं । मेरे ख्याल से ओवर लुक की वजह से एक दो खामियां रह गई हैं, मैं इनकी इंटैन्शन बुरी नहीं समझता । अगर यह एक दो प्वांयटस इसमें और एड कर दें तो अच्छी बात है, इससे हरिजन भाईयों को और सुविधा होगी । मैं कलाज 6 पढ़ कर सुना देता हूं–

"(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the allottee shall be competent to mortgage or create a charge on the land allotted to him for raising loan

from any cooperative society, bank, scheduled bank or any corporation owned or controlled by the Government, for the purpose of making improvements in the land and for other agricultural purposes.—

कोआपरेटिव सोसायटीजके बाद कोआपरेटिव बैंकों का शब्द एड कर दिया जाए ताकि गरीब आदमी कोआपर्रोटव बैंकों से भी लोन ले सके । जब तक कोआपरेटिव बैंक का नाम इसमें मैन्शन नही होगा तब तक लोग बैकों से पैसा नहीं ले सकेंगे । इसलिये कोआपरेटिव सोसायटी के बाद, बैंक और शिडयूल्ड बैंक से पहले कोआपरेटिव बैक का शब्द ऐड कर दिया जाए । जब लोग लोन लेने जाएंगे तो ये सारी बातें उनके सामने आयेंगी । इसी तरह से कारपोरेशन ओन्ड आर कंट्रोल्ड बाई दा गवर्नमैन्ट इसमें लिखा है । इस बारे मेरा सुझाव है कि कारपोरेशन के बाद बोर्ड का शव्द भी इसमें ऐड किया जाए । क्योकि कई इस प्रकार के बोर्डज हैं जैसे खादी बोर्ड, हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, जहां से गरीब आदमियो को जमीन के अगेंस्ट लोन मिलता है । इस लिए इन अदायरों से भी गरीब आदमी. लोन ले सकेगा । चूंकि बोर्डज तथा कारपोरेशंज अलग–अलग अदायरें हैं इसलिए मेरी मन्त्री महोदय से यह गुजारिश है कि कारपोरेशन के बाद बोर्ड का शब्द इंक्लूड किया जाए । यह तुक दो प्वायंटस ऐसे हैं जो कि ओवर लुक होने की वजह से रह गये हैं, उमिट हो गये हैं । या द इसमें इंसर्ट हो जाएं तो अच्छी बात होगी । इससे लोगों को लोन लेते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी । इसके लिए मैं मन्त्री महोदय से

यह अर्ज करगा कि जो जो प्वायंटस हेंने बताए हैं, इस क्लाज 6 में अवश्य इंसर्ट कर दिये जाएं ।

श्री भले राम (बड़ौदा, अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, यह जो बिल यहां पर हाऊस में लाया गया है, यह बहुत ही अच्छा बिल है । इसके तहत गरीब हरिजनों को जो सरप्लस जमीन अलाट की जाएगी, वे उस जमीन को पांच साल तक बेच नहीं सकेगे । यह एक बहुत अच्छा प्रावधान सरकार ने इसमें किया है । लेकिन इसमें एक दिक्कत आयेगी कि जो अलाटी हैं, उनको सालों साल उस जमीन का कब्जा नहीं मिलना । बहुत से ऐसे केसिज मिलेगे जिन्होंने एक से ज्यादा किश्तें दी हुई हैं, मगर उनको आज तक जमीन का कब्जा नहीं मिला है । अगर उनके नाम रजिस्ट्री नहीं होगी तो बैको से लोन कैसे ले सकेंगे । लेकिन इस क्लाज के तहत दो तीन अदायरे ऐसे हैं, जिनसे वे लोन ले सकते हैं । मेरी रिकवैस्ट है कि अगर वे इन अदायरो से लोन ले लेगे तो वे उस लोन का मिसयूज करेंगे । अगर उनके नाम जमींन की रजिस्ट्री होगी तो उस लोन के पैसे को उसी जमीन पर खर्च करेंगे । इसलिये मेरी रिकवैस्ट है कि पहले सरकार उस जमीन की खुद मालिक बन जाए और जब तक उन जमीन की सारी किश्तें पूरी न हो जाएं, उस जमीन को ट्रांसफर न किया जाए । सभी किश्ते पूरी होने के बाद उस जमीन की अलाटमैंट अलाटी के नाम कर दी जाए ताकि जब वह आदमी अपनी जमीन के अगेंस्ट लोन लेगा तो उसको अपनी जमीन उस अदायरे के पास गहन रखनी

होगी और उस पैसे का सदुपयोग भी हो सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की हिमायत करता हुआ अन्त में फिर अपनी सरकार को और मिनिस्टर साहब को इसके लिये धन्यवाद देता हूं और रिकवैस्ट करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिया है, उस पर अवश्य विचार किया जाए ताकि गरीब लोगों की भलाई हो सके ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : स्पीकर साहब, हमारे रैवेन्यु मिनिस्टर साहब जो बिल लाए हैं यह बहुत अच्छा है । इसमें गरीबों के लिए बहुत अच्छी बातें की गई हैं । गरीब को जो जमीन अलाट होती है उसकी एक किश्त देने के बाद उसको उसका कब्जा दिलाया जाए ताकि वह बैक से कर्जा ले सके । इसमें मेरा एक सुझाव है कि कई जमीने ऐसी हैं जिन पर पुराने मुजारों का 30– 40 साल से कब्जा है लेकिन वह जमीन किसी और कौ अलाट कर दें । इस तरह होने से दोनों ही मुजारे उलझ जाते हैं । न तो नए अलाटी को कब्जा मिलता है और न पुराना छोड़ता है । इसलिये इस किस्म की त्रुटियों को भी दूर किया जातु । वैसे तो यह बिल बहुत अच्छा है लेकिन अगर मेरे सुझाव को मान लिया जाए तो हरियाणा के अन्दर झगड़े नही चलेंगे और सही हकदार कौ जमीन मिलेगी । बाकी बिल बहुत अच्छा है, इससे बे–जमीन लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस विल की पुरजोर हिमायत करता हुं ।

ठाकुर बहादुर सिंह (दड़बा कलां) : स्पीकर साहब, जो बिल मन्त्री जी ने पेश किया है यह बहुत अच्छा और सराहनीय है

। सीलिंग एक्ट का असली आब्जैक्ट यह था कि जो आदमी जमीन काश्त करता है उसको जमीन का मालिक बना दिया जाए । इसके तहत 1953 में और 1972 में यह सोलिग एक्ट आया । सन् 1972 के सीलिंग एक्ट के बाद जिन लोगों को जमीन अलाट हुई उनके बारे में सरकार ने यह माना है कि उन्होंने अपने राइट का मिस यूज किया और जमीन आगे बेचनी शुरू कर दी । यह हकीकत है कि 50 परसेंट से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जमीन एक इंस्टालमैंट देने के बाद दूसरे को बेच दी । आज सरकार ने इस नुकस को तसलीम करते हुए यह अमैंडमैंट पेश कीं है, इससे सीलिंग एक्ट का मकसद पूरा होगा । इन्हेंने कहा है कि पांच साल तक वह जमीन न बेच सके । यह पाबन्दी तो लगा दी है लेकिन जहां तक किश्तों का ताल्लुक है वे दस साल की ज्यादा रखी है । मैं चाहता हूं कि जब सारी किश्तें पूरी हो जाएं तब तक के लिए जमीन आगे बेचने की सीमा रख दी जाए ताकि असली मकसद पूरा हो सके और गरीबों को जमीन मिले । काश्त करने वाले को जमीन मिले और वह अपने राइट का मिस यूज न कर सके इसलिये इसकी सीमा दस साल हो, यह मेरी तजवीज है । दूसरी बात यह है कि जो जमीन जिस अलाटी को दी जाती है दूसरे साल ही उसके काश्त के खाने में कोई और आ जाता है । सरकार इस चीज की पड़ताल करे कि आया जो हमारा मकसद है कि जमीन को अलाटी ही काश्त करे, वह पूरा हो रहा है या नही। देखने में यह आता है कि लोग जबानी जमीन को बय कर देते हैं, कागजों में बय नही करते क्योंकि ऐसा वे कर नहीं सकते । ऐसा करने से इन्द्राज

काश्त में खरीददार का नाम आ जाता है और अलाटी का नाम नहीं रहता । वैसे तो यह बिल बहुत अच्छा है, हर लिहाज से गरीबों को सहायता देने का वचन दिया गया है लेकिन वे उस जमीन को आपने पास रख सकें इसके लिए थोड़ी और ज्यादा सख्ती की जरूरत है । दस साल के लिए उसकी जमीन बचाई जा सके और खाना काश्त में किसी दूसरे का नाम न आ सके इसके लिए कोई प्रावधान किया जाए तभी हमारा मकसद पूरा हो सकेगा वरना तो जो हमारा असली ध्येय है वह पूरा नहीं हो सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री जी मेरे सुझाव की तरफ ध्यान देंगे । यही मेरा निवेदन है । धन्यवाद ।

मास्टर राम सिंह (रादौर, अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जो यह बिल रखा है में इसका समर्थन करता हूं । हमारी सरकार ने हरिजनों के लिए सरप्लस जमीन देने की कृपा की हैं और यह भी पाबन्दी लगाई है कि पांच सात्र तक वह उस जमीन को आगे नहीं बेच सकता । ऐसे कई प्रकार के और भी कदम सरकार ने उठाए हैं जैसे हरिजनों को प्लाटस दिए हैं लेकिन अभी तक भी बहुत से गरीबों को उनका पोजैशन नहीं मिला है । कागजों के अन्दर तो पोजैशन दिखाया जाता है लेकिन सही मायनों में उनको नहीं मिल पाते । इस वजह से अदालतों के अन्दर झगड़े होते रहते हैं । जैसे कि एक और मन्त्री जी ने कहा कि स्टेट के अन्दर पहले मुटेशन के लिए किसान

को तहसीलदार और पटवारी के पीछे–पीछे फिरना पड़ता था लेकिन अब सख्ती से पेश आने की वजह से तहसीलदार और पटवारी को किसानों के पीछे फिरना पड़ता है कि फटाफट अपने इन्तकाल करवा लें । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे शैलर्ज वाले या इंडस्ट्रियलिस्टस बैकों में अपनी लिमिट फिक्स करवा लेते हैं उसी प्रकार से जमीदारों की भी पांच एकड़ तक दस हजार रुपए और बीस एकड तक पचास हजार रुपए लिमिट फिक्स होनी चाहिए । अगर ऐसा हो जाए तो उनको लैंड मारगेज बैंक या कोआप्रेटिव बैंक के पीछे नही फिरना पड़ेगा और लोन लेने के लिए उनको कठिनाई नहीं आएगी । अगर यह लिमिट फिक्स कर दी जाती है तो वह साधारण बैंकों या कमर्शियल बैंकों से कर्जा असानी से ले सकता है । कुरुक्षेत्र के अन्दर सी ०एम० साहब ने कहा था कि किसान को कर्जा तो 14 हजार रुपए का मंजूर होता शै लेकिन उसके पल्ले केवल 10– 11 हजार रुपया ही पड़ता है । इसलिये यदि इस प्रकार की लिमिट फिक्स हो जाए तो किसानों की दिक्कतें दूर हो सकेंगी मेरा यही सुझाव है । धन्यवाद ।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर) : स्पीकर साहब, मैं इस अमैंडमैंट का समर्थन करता हूं । सरकार यह एक बहुत अच्छा कदम उठा रही है लेकिन मुखे इसमें थोड़ा लीगल फला नजर आता है । इसकी सब–सैक्शन 5 में ये कहते हैं कि फुल प्राइस देने के बाद ही वह उसका मालिक वन सकेगा यानि उसको तभी लोनर– शिप राइट मिलेगा । उसके बाद सब–सैक्शन 6 में ये

कहते हैं कि वह चार्ज क्रिएट कर सकता है । जब तक उसका जमाबन्दी में मालिक के खाते में या इंतकाल में नाम नहीं आएगा वह ओनर कैसे बन सकता है? तो मेरे ख्याल में वह उस प्रोपटीं पर चार्ज क्रिएट करने के काबिल नहीं होगा और कोई बैंक, सोसायटी, कार्पोरेशन या जहां से वह लोन लेना चाहेगा उनके लिए उसको लोन देना पोसिबल नहीं होगा । वे कह सकते हैं कि जब तक आप मालिक नहीं बनते तब तक हम आपको कर्जा कैसे दे सकते हैं । मेरा सुझाव है कि मेरी बात को कंसीडर करके देख लें । कहीं ऐसी डिफीकल्टी न आ जाए कि वह मालिक भी न बन सके और उसको कर्जा भी न मिले । इस बात को देखते हुए मेरा इस बिल के बारे में यही सुझाव है । धन्यवाद ।

11.00 बजे ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन (बरवाला) : स्पीकर साहब, जो बात सैनी साहब ने कही हैं, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं । फाडुलैट ट्रांसफर को चौक करने के लिए यह बिल हाऊस में लाया गया है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और गवर्नमैंट की सराहना करता हूं । लेकिन मेरे विचार से इसमें एक लीगल लकूना है, सीरियस कन्ट्राडिक्शन है । जैसे अभी सैनी साहब ने बताया कि सैक्शन 5 और 6 के मुताबिक वह चार्ज क्रिएट कर सकता है । मैं यह समझता हूं कि जब तक वह ओनर नहीं बनता है तब तक वह प्रोपर्टी पर चार्ज कैसे क्रिएट कर सकता है उसे मारगेज कैसे कर सकता है? यह अदालतों में चौलेज हो जाएगा

और इससे लोगों को बैनिफिट नही मिल सकेगा । इस दिल के जो आब्जैक्ट्स हैं वह पूरे नहीं हो सकेगे । मेरा तो यह सुझाव है कि इस बिल को अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाए क्योकि यह बात कंट्राडिक्टरी है जिसके कारण सारे बिल का परपज हल नहीं हो सकेगा । यह बात कह कर मैं बाकी बिल का स्वागत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के कहने का मतलब यह है कि वैको के लीगल एडवाइजर्ज इस ओनरशिप को रिकगनाइज करेंगे या नहीं करेंगे । मेन बात यह है ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री निर्मल सिह) : स्पीकर साहिब, वैसे तो मेरे साथियों ने इस बिल का समर्थन किया है और इसकी तारीफ की है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । लैड रैवेन्यू, लैंड होलडिंग्ज और लैड सीलिंग के जो कुछ मामले थे उनके बारे में तहसील के महकमे में हमेशा ही हौचापौच रही है । मौजूदा सरकार ने लोगों की दिक्कतों को समझते हुए कई सुधार किए हैं । जैसे लैड रैवेन्यू को माफ करना । इसके अलावा हर रोज की किसानों की तहसील में दिक्कतों को दूर किया है । जैसे भाई राम सिंह जी फरमा रहे थे कि अब किसानों को म्यूटेशन करवाने में काफी आसानी हो गई है । पहले 10– 10 साल तक जमीनों के इन्तकाल रुके रहते थे । उस पुराने सिस्टम को आसान बनाने के लिए हमने नया सिस्टम दिया है । अब किसी भी इन्तकाल के लिए तहसीलदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह

उसको 3 मास के अन्दर–अन्दर निपटा देगा । इसके अलावा पहले किसानों को फैसलें की नकल लेने के लिए तहसीलो के चक्कर काटने पड़ते थे और उसके दो ही नकल लेनी हीती थी, एक नकल किसान के पास होती थी और एक तहसीलदार के पास होती थी । अब हमने पटवारियों के लिए भी एक सिस्टम बनाकर दिया है कि रजिस्ट्री की नकल की एक कापी जोकि तहसील द्वारा पटवारी को पर्चा रजिस्ट्री के साथ भेजी जायेगी, पटवारी भी अपने पास रखेंगे ताकि इन्तकाल पटवारी के लैवल पर आटोमैटीकली दर्ज हो जाये और किसानों को पटवारियों के पास चक्कर न लगाने पड़े । सरकार कई बातें लोगो की भलाई के लिए करती है लेकिन कई लोग उसको भी एप्रिशिएट नहीं करते । वे लोग अपना पौलिटिकल मकसद पूरा करने के लिए उस बात को ऐसे ढंग से पेश करते हैं । जैसे कल हाउस में लैड रेवेन्यू को माफ करने के बारे में चर्चा हो रही थी तो बताया गया कि अपोजीशन वालों ने उस बात को भी एक्सप्लायट किया और लोगों में अफवाहें फैलाई कि जब लैड पर रैवेन्यू ही नहीं रहा तो सरकार आहिस्ता आहिस्ता किसानों की जमीन जब्त कर लेगी । इस तरह से यह जो सीलिंग बिल आया है इसके बारे में भी उन लोगों ने आम जनता में घुमा फिरा करके बातें कही हैं कि लैंड सीलिंग एक्ट के तहत दोबारा एक बिल आ रहा है जिसके द्वारा सीलिंग फिक्स की जाएगी । जिनके पास अभी भी ज्यादा जमीन है उसकी सीलिंग घटाई जाएगी । इस बारे मे मैं यह वात स्पष्ट कर दूं कि किसानों के पास जो जमीन है जिसकी देखरेख वे अच्छे ढंग से खुद कर

सकते पैं उसकी सीलिंग कम करने का सवाल नहीं है । अव हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिसमें किसानों के पास नाम मात ही जमीन रह गई है क्योकि परिवार बढ़ गए हें । इस बिल में यह जो अमैंडमैंट लाई गई है यह केवल मात्र सुधार करने के लिए ही लाई गई है । इसके तहत यह किया गया है कि जिन लोगों की जमीन सरप्लस में निकली थी उस जमीन को गरीब हरिजनों को दिया जा रहा है और हरिजन लोग उस जमीन को पांच साल तक आगे नहीं बेच सकेंगे । उसका मिसयूज भी नहीं होगा और उसका सही फायदा गरीब लोगों को पहुंचेगा । पहले ऐसा था कि जब कोई जमीन की एक किश्त भर देता था तो वह उस जमीन का मालिक बन जाता था और उस जमीन का मिसयूज कर सकता था । इस कारण से वह अपने कामों को आसान करने के लिए जमीन आगे बेच देता था जिससे वह गरीब आदमी जमीन से मोहताज रह जाता था । अब इसमें यह सिस्टम ऐड किया है कि वह आदमी जिसको सरप्लस लैंड मिलेगी वह एक किश्त देने के बाद उस जमीन का टैम्परेरी ओनर तो बन जाएगा लेकिन पांच साल तक वह उस जमीन को आगे नहीं बेच सकेगा क्योंकि तब तक हम उसके नाम उस जमीन का इन्तकाल नही होने देंगे। 'जब तक उसके नाम इन्तकाल नहीं होगा तब तक वह क्लाज 6 में दर्शाए गए अदायरों के अलावा और किसी बैक से उस जमीन के खिलाफ लोन नही ले सकेगा और न ही उस जमीन को किसी लाले के पास गिरवी रख सकेगा । माननीय सदस्यो ने जो लीगली बातो का प्रश्न उठाया है उसके बारे मे इस बिल मैँ सीधा प्रावधान यह

है कि किसी हरिजन को जमीन अलाट होने के बाद पांच साल तक वह उस जमीन को आगे नहीं बेच सकेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूगा कि इस बिल को पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Sir, I move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ–

किं बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार लोकल गवर्नमैंट दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल को कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Minister of State for Local Government (Shri A.C. Chaudhry) : Sir, I move—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ–

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बनै ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पोर्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

Minister of State for Local Government (Shri A.C. Chaudhry) : Sir, I move—

That the Bill be passed .

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ–

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) दि हरियाणा फारैस्ट डिवैल्पमैंट (रिपील) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार फारैस्ट, दि हरियाणा फारैस्ट डिवैल्पमैंट (रिपील) बिल को कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Minister of State for Revenue (S hri Nirmal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Forest Development (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ—

That the Haryana Forest Development (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर) : स्पीकर साहब, जो बिल सदन के सामने आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस बिल के लाने पर मैं अपनी सरकार, मुख्यमंत्री जी और चौधरी निर्मल सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं । सरकार उस गैर कानूनी एक्ट को खत्म करने जा रही है जिसकी चर्चा न सारे प्रदेश में बल्कि सारे देश में हुई थी । स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि जब 1983 में यह बिल उस समय की सरकार द्वारा लाया गया तो मैंने इस बिल की इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध किया था । मैंने कांस्टीव्यूशन का और कई एक्टस का हवाला देते हुए कहा था कि यह कानूनी तौर पर इन्ट्रोडयूस नहीं हो सकता और न ही इसे पास किया जा सकता है लेकिन उस समय की सरकार ने जबरस्ती इस बिल को पास

कर दिया था । आपको यह भी याद होगा कि इसी बिल की वजह से उस समय चौधरी फूलचन्द मुलाना जी को और सरदार लछमन सिंह जी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था । कानूनी तौर पर यह बिल पास नहीं हो सकता था । चौधरी फूलचन्द जी उस समय फौरेस्ट मिनिस्टर थे । उनको उस समय फोर्स किया गया था कि इस बिल को लाना है । उसका जो नतीजा इनको भुगतना पड़ा वह सबके सामने है । फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड बनने से जो चर्चा हमारे प्रदेश की सारे प्रदेशों में और देश में हुई थी वह एक बहुत ही लम्बा विषय है । जब सैन्टर को बिल लाने का पता चला था तो वह भी हैरान हुई थी । इसके अलावा सी०ए०जी० ने और हमारे ए०जी० ने भी इस बिल पर औब्जैक्शन किया था कि इसमें बहुत सारी कानूनी अड़चनें हैं । उन्होंने कहा था कि इसमें फाईनैस की दिक्कत आएगी । फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड का बजट असैम्बली से पास होना था जवकि उस समय के बिल द्वारा इसके बजट को असैम्बली से बाहर रखा गया था जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं था । अब इस मौजूदा सरकार ने उस बहुत बड़ी गल्ती को सुधार करके एक बहुत बड़ा काम किया है । अब इस बिल के आने से उस समय स्टेट कि जो बदनामी हुई थी वह खत्म हो जाएगी । में इस बात के लिए अपनी मौजूदा सरकार को इस बिल के लाने पर बधाई देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात में फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड द्वारा जो लकड़ी बेची गई है और पौधे लगाये गए हें, उसके बारे

कहना चाहता हूं । फौरेस्ट डिपार्टमैंट तो फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड बनने से पहले खड़े पौधों की औक्शन करके लकड़ी बेचता था जबकि फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड ने यह लकडियां काट कर बेची जिससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ है । इसी प्रकार पौधे लगाने की बात को आप लें । स्पीकर साहब, अपिने देखा होगा कि जी० टी० रोड पर बहुत पास पास पौधे लगाये हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है । ये पौधे पूरी तरह पनप नहीं पायेंगे । सरकार को इतने पौधे लगाने से करोड़ रुपये का नुकसान हु आ है । हमारी मौजूदा सरकार ने चौधरी बंसी लाल जी के नेतृत्व में और चौधरी निर्मल सिह जी ने इस बिल को ला कर हरियाणा का कलंक खत्म किया है, आगे नुकसान होने से बचाया है और सरकार की इमेज को बढ़ाया हे । मैं इनका धन्यवाद करते हुए और इस रिपील बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री निर्मल सिंह) : स्पीकर साहब, मैं सैनी साहब द्वारा इस बिल का समर्थन करने पर इनका धन्यवाद करता हूं । इन्होंने बोर्ड द्वारा जो काम किए गए थे, उसकी चर्चा की है । उस समय काफी मैम्बरों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया था । दूसरे इसमें लीगली अड़चनें भी बहुत थो । इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए इसको अब खत्म किया जा रहा है । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जो फौरेस्ट डिपार्टमैंट के आफिसर्ज थे उनके तो जुडिशियल पावर्ज थीं लेकिन जो बोर्ड के आफिसर्ज थे चाहे वे सीधे बोर्ड द्वारा भर्ती किए गए

हो या' डैपुटेशन पर हों, उनको ये पावर नहीं हो सकती थीं । बोर्ड ने जो काम किए हैं उनकी बाकायदा जांच हो रही है । हमारे फोरेस्ट के 21 डिवीजन्ज हैं । इनमें से 8 डिवीजन्ज की इन्क्वायरी चल रही है । जांच का यह काम बहुत लम्बा है । जगह जगह जाकर देखना होगा कि कैसे कैसे काम किया गया है । 8 डिवीजन्ज की. जांच समाप्त लेने पर बाकी के जो डिवीजन्ज हैं उनकी जांच भी कराने की सोच रहे हैं । एक बार फिर मैं इनका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं तथा निवेदन करता हूं कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

That the Haryana Forest Devlopment (Repeal) Bill be taken into consideration at onece

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विल पर क्लाज कई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(4) कि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जो दि इण्डियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल को कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Sir, I beg to movc—

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है– –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है– –

कि टाईटल बल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किय जाये ।

Minister of State for Revenue (Shri Nirmal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(5) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव सैम्बली (मैडिकल फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (मैडिकल फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) बिल को

इन्ट्रोडयूस करेंगे और इसे कन्सिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Medieal Facilities to Members) Bill, 1986. I also move—

That the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

That the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

That the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत' हुआ ।

क्लाज 6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हे–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir, I move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(6) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन्शन एंड मैडिकल फैसिलिटीज (रिपील) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन्शन एंड मैडिकल फैसिलिटीज (रिपील) बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करेंगे और इसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Mcdical Facilities (Repeal) Bill, 1986.

I also move—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ) : स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में तो स्पीकर साहब को यह सुविधा होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात ठीक है लेकिन मुझे आपके सिवा कोई स्पोर्ट करने वाला नहीं है । (हंसी)

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेनाला) : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से चौधरी लाल' सिंह जी को बता दूं कि स्पीकर महोदय को उनकी पैन्शन के लिए जो सारे मैम्बर्ज वाला बिल है उसमें शामिल किया गया है । सारे मैम्बर्ज, स्पीकर और मिनिस्टर्ज आदि का एक कम्पोजिट बिल बनाया गया है क्योंकि लोक सभा में भी इसी तरह है । इसलिए इस ऐक्ट को रिपील करने के लिए यह बिल लाये हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रशन है––

कि क्लाज 2 बिल कौ पार्ट बैने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(7) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब, दि हरियाणा लंजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, **I** introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 1986. **I** also move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : सर, क्लाज 2 पर एक अमैंडमैंट है ।

श्री अध्यक्ष : आप मूव कीजिए ।

Chaudhri Shamsher Singh Surjewala : Sir **I** move—

That in sub-clause (a) of clause 2, after the words "every year", the words "or part thereof" be inserted.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

That in sub-clause (a) of clause 2, after the words "every year", the words "or part thereof" be inserted.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

That in sub-clause (a) of clause 2 after the words "every year", the words "or part thereof" be inserted.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 2, एज अमैंडिड, बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I move—

That the Bill, as amended, be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ–

कि बिल, एज अमैंडिड, पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि बिल, एज अमैन्डिड, पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(8) दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986 (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल की कसिड्रेशन मोशन पर डिस्कशन रिज्यूम होगी।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : सर, जैसे कि पहले हाउस में चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि इस इलैक्ट्रीसिटी बिल की क्लाज 5 से लेकर 12 तक को सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए । लेकिन हाउस की सैन्स को देखते हुए मैं चाहता हूं कि सारे बिल को ही सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए । आपकी इजाजत से मैं इस बारे में अमैंडमैंट मूव करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप मूव कीजिए ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1986 be referred to the Select Committee consisting of the following Members-

1. Shri Ved Pal, Deputy Speaker
2. Rao Nihal Singh
3. Shri S.S. Saini
4. Shri Bhalle Ram
5. Shri Inder Singh Nain
6. Ch. Kanwal Singh

7. Shri Dharambir Gauba

8. Shri Ishwar Singh

9. Shri Jagdish Nehra

10. Bahin Shanti Devi

11. Ch. Shakrulla Khan

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1986, be referred to the Select Committee consisting of the following Members-

1. Shri Ved Pal, Deputy Speaker

2. Rao Nihal Singh

3. Shri S. S. Saini

4. Shri Bhalle Ram

5. Shri Inder Singh Nain

6. Ch. Kanwal Singh

7. Shri Dharambir Gauba

8. Shri Ishwar Singh

9. Shri Jagdish Nehra

10. Bahin Shanti Devi

11. Ch. Shakrulla Khan

Mr. Speaker : Question is—

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1986, be refer to the Select Committee consisting of the following Members-

1. Shri Ved Pal, Deputy Speaker
2. Rao Nihal Singh
3. Shri S.S. Saini
4. Shri Bhalle Ram
5. Shri Inder Singh Nain
6. Ch. Kanwal Singh
7. Shri Dharambir Gauba
8. Shri Ishwar Singh
9. Shri Jagdish Nehra
10. Bahin Shanti Devi
11. Ch. Shakrulla Khan

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. 01 Wednesday, the 3rd December, 1986.

*11.32 hours

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a. m. on Wednesday, the 3rd December, 1986.)